इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2020—भाद्र 13, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

क्र. एफ-1(ए)154-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे-92, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध), पु. मु., भोपाल को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2020 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जुलाई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्र. एफ 1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अशोक गोयल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 11 से 25 मई 2020 तक, पन्द्रह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 210-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 जुलाई 2020 व 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. सांई मनोहर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 268-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत दिनांक 27 से 31 जुलाई 2020 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश व दिनांक 4 अगस्त 2020 का 01 दिवस आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 01-03 अगस्त 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर की यात्रा के तहत् कानपुर (उ. प्र.) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री राजेन्द्र कुमार	—	स्वयं
2.	श्रीमती शुचि श्रीवास्तव	—	पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (सायबर), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

पंजी क्र. 2240-2020-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री वैभव मण्डलोई, अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्र 5, विद्युत् अधिनियम, 2003 इन्दौर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

फा. क्र. 2300-2020-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मनोज सोनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 चुरहट, जिला सीधी के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 18 अगस्त 2020 (By Circulation) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Service) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए, राज्य शासन

ने यह निर्णय लिया है कि श्री मनोज सोनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, चुरहट,जिला सीधी की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination Service) की जाए.

अत:, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (सी) के अन्तर्गत एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री मनोज सोनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, चुरहट, जिला सीधी की सेवा समाप्त (Termination of Service) करता है.

फा. क्र. 2300-2020-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री सत्यम पाण्ड्ेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, आगर, जिला शाजापुर के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 24 जुलाई 2020 एवं फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 18 अगस्त 2020 (By Circulation) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Service) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री सत्यम पाण्ड्ेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, आगर, जिला शाजापुर की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Service) की जाए.

अत:, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (सी) के अन्तर्गत एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री सत्यम पाण्ड्ेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, आगर, जिला शाजापुर की सेवा समाप्त (Termination of Service) करता है.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2020

फा. क्र. 2235-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.
2	श्री पद्मचन्द्र गुप्ता, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री गुप्ता, वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में **एक सप्ताह** के लिए कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
3	श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में. श्री कौशिक वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर (दतिया लिंक ग्वालियर) का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में **तीन सप्ताह** के लिए कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
4	श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, बाहरवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैढ़न (सिंगरौली) की हैसियत से श्री ऋतुराज बसंत कुमार के दिनांक 31 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

(1)	(2)	(3)
6	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की हैसियत से श्रीमती अनीता सिंह के स्थान पर.
7	श्री अनिल कुमार सुहाने, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर, इन्दौर.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर) के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2020

क्र एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 2018 में संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम, अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) (संशोधित अधिनियम, 2000) की धारा 10 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनुराग जैन, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. एफ-1ए-06-2016-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रदीप कुमार सोनी (जूनियर), चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, छिन्दवाड़ा.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2020

क्र. 688-635-2020-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि अपर मुख्य कारखाना निरीक्षक या संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, जो राज्य के मुख्य कारखाना निरीक्षक की अवकाश कालावधि के दौरान संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार धारण कर रहा हो, केवल उस कालावधि में मध्यप्रदेश के मुख्य कारखाना निरीक्षक, की शक्तियों का प्रयोग करेगा.

S. No. 688-635-2020-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2-A) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) the State Government, hereby, notifies that Additional Chief Inspector of factories or Joint Chief Inspector of factories, whosoever holding the charge of Director, Industrial Health and Safety, Madhya Pradesh during leave of period of Chief Inspector of Factories of the State, shall exercise the power of Chief Inspector of Factories, of Madhya Pradesh in that period only.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

क्र. एफ-11-01 (11-1)2006-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019-एक-9, दिनांक 6 मार्च 2019 से निगम मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.

(2) उक्त आदेश के परिपालन में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 20 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकांत पाण्डेय, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

सूचना

क्र. एफ-13-4-2017-बी-ग्यारह.—मध्यप्रदेश भागीदारी (फर्मों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1951 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का सं. 9) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के, मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय

के दौरान प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 19 में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) अधिकतम फीस-अधिकतम फीस निम्नानुसार उद्गृहीत की जाएगी:—

दस्तावेज या कृत्य जिसके विषय में फीस देय है (1)	अधिकतम फीस (2)
धारा 58 के अधीन कथन	छः सौ पैंतीस रुपए
धारा 60 के अधीन कथन	एक सौ छब्बीस रुपए
धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	एक सौ छब्बीस रुपए
धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	तिरसठ रुपए
धारा 63 के अधीन सूचना	एक सौ छब्बीस रुपए
धारा 64 के अधीन आवेदन	तिरसठ रुपए
धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्म्स के रजिस्टर का निरीक्षण	तीस रुपए
धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन किसी फर्म्स से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण.	तीस रुपए
धारा 67 के अधीन प्रतिलिपियां	पन्द्रह रुपए (प्रत्येक सौ शब्द या उसके भाग के लिए).".

NOTICE

No. F-13-4-2017-B-XI.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Partnership (Registration of Firm) Rules, 1951 which the State Government proposes to make in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 71 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh Industrial Policy and Investment Promotion Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal During office hours from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 19, for clause (i), the following clause shall be substituted namely:—

"(i) Maximum Fees-The Maximum fees shall be levied as under:—

Document or act in respect of which The fee in payable (1)	Maximum Fee (2)
Statement under Section 58	Rupees six hundred thirty five
Statement under Section 60	Rupees one hundred twenty six
Intimation under Section 61	Rupees one hundred twenty six
Intimation under Section 62	Rupees sixty three
Notice under Section 63	Rupees one hundred twenty six
Application under section 64	Rupees sixty three
Inspection of the Register of Firms under sub-section (1) of section 66.	Rupees thirty
Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of Section 66.	Rupees thirty
Copies under Section 67	Rupees fifteen (For each hundred words or part thereof)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. विजय दत्ता, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्र. एफ-25-65-2003-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-65-2003-दस-3, दिनांक 5 फरवरी 2004 जिसका संबंध अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के कार्यालयों के गठन से है, को राज्य शासन, एतद्द्वारा, आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुए वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त कार्यालयों का नाम निम्नानुसार वन संरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त कार्यालयों में परिवर्तित किया जाता है:—

क्र. (1)	सामाजिक वानिकी वृत्त (2)	मुख्यालय (3)	वृत्त में सम्मिलित जिले का नाम (4)	
1	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, भोपाल.	भोपाल	1.	भोपाल
			2.	रायसेन
			3.	सिहोर
			4.	राजगढ़
			5.	विदिशा
2	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, बैतूल.	बैतूल	6.	बैतूल
			7.	होशंगाबाद
			8.	हरदा
3.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, ग्वालियर	ग्वालियर	9.	ग्वालियर
			10.	दतिया
			11.	मुरैना
			12.	भिण्ड
			13.	शिवपुरी
			14.	गुना
			15.	अशोकनगर
			16.	श्योपुर
4.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इन्दौर	इन्दौर	17.	इन्दौर
			18.	देवास
5.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, झाबुआ	झाबुआ	19.	झाबुआ
			20.	धार
			21.	अलीराजपुर
6.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, खण्डवा	खण्डवा	22.	खण्डवा
			23.	बड़वानी
			24.	खरगौन
			25.	बुरहानपुर
7.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, जबलपुर	जबलपुर	26.	जबलपुर
			27.	कटनी
			28.	मण्डला
			29.	डिंडौरी
8.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, रतलाम	रतलाम	30.	रतलाम
			31.	मंदसौर
			32.	उज्जैन
			33.	शाजापुर
			34.	नीमच

(1)	(2)	(3)	(4)	
			35.	आगर
9.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सिवनी	सिवनी	36.	सिवनी
			37.	नरसिंहपुर
			38.	छिन्दवाड़ा
			39.	बालाघाट
10.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, सागर	सागर	40.	सागर
			41.	दमोह
			42.	छतरपुर
			43.	टीकमगढ़
			44.	पन्ना
			45.	निवाड़ी
11.	वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी वृत्त, रीवा	रीवा	46.	रीवा
			47.	सतना
			48.	सिंगरौली
			49.	सीधी
			50.	शहडोल
			51.	अनूपपुर
			52.	उमरिया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

एफ-25-65-2003-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-65-2003-दस-3, दिनांक 24 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 24th August 2020

No. F-25-65-2003-X-3.—In partial suppression of the Madhya Pradesh, Government Forest Department Notification No. F-25-65-2003-X-3, dated 5th February 2004, in so far as it relates to the constitution of the offices of Conservator of Forest, Research and Extension, the State Government here by change the name of Conservator of Forest Research Extension offices, into the Office of Conservator of Forest, Social Forestry Circle, as mentioned below:—

Sr. No.	Social Forestry Circle	Head Quarter	Name of District Included in Circle	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Bhopal.	Bhopal.	1.	Bhopal.
			2.	Raisen.
			3.	Sehore
			4.	Rajgarh
			5.	Vidisha

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Betul.	Betul	6. Betul 7. Hoshangabad 8. Harda
3.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Gwalior.	Gwalior	9. Gwalior 10. Datia 11. Murena 12. Bhind 13. Shivpuri 14. Guna 15. Ashok Nagar 16. Sheopur
4.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Indore.	Indore	17. Indore 18. Dewas
5.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Jhabua.	Jhabua	19. Jhabua 20. Dhar 21. Alirajpur
6.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Khnadwa.	Khnadwa	22. Khnadwa 23. Badwani 24. Khargone 25. Burhanpur
7.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Jabalpur.	Jabalpur	26. Jabalpur 27. Katni 28. Mandla 29. Dindori
8.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Ratlam.	Ratlam	30. Ratlam 31. Mandsour 32. Ujjain 33. Shajapur 34. Neemuch 35. Aagar
9.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Seoni.	Seoni	36. Seoni 37. Narsinghpur 38. Chhindwara 39. Balaghat
10.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Sagar	Sagar	40. Sagar 41. Damoh 42. Chhtararpur 43. Tikamgarh 44. Panna 45. Niwari
11.	Conservator of Forest, Social Forestry circle, Rewa.	Rewa	46. Rewa 47. Satna 48. Singroli 49. Sidhi 50. Shahdol 51. Anuppur 52. Umaria

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MOHANTA, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

कचनार, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

सतना विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3151-वि.यो. 496-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सतना विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, रीवा, संभाग रीवा, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिका निगम, सतना, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सतना विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	4	4.14.1	पी-एस-1 एवं 2 प्रशासनिक /संस्थायें	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	4	4.14.1	ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित)	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3155-वि.यो. 496-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिवनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिवनी, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिवनी विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

अमरकंटक विकास योजना, 2015 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3159-वि.यो. 496-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अमरकंटक विकास योजना, 2015 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, अमरकंटक, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अमरकंटक विकास योजना, 2015.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-6	—	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	6	6.10	—	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2020

मंडला विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3163-वि.यो. 496-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मंडला विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मंडला, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंडला, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मंडला विकास योजना, 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-15	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	6	6-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**. कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2020

बैरसिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3184-वि.यो. 496-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैरसिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, भोपाल, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बैरसिया विकास योजना, 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

बड़वानी विकास योजना 2015 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3195-वि.यो.-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बड़वानी विकास योजना 2015 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इन्दौर, संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बड़वानी, मध्यप्रदेश.

(प्रस्तावित उपान्तरण का विवरण)
अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कालम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बड़वानी विकास योजना 2015.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2020

अनूपपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3201-वि.यो. 496-नग्रानि-2020.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अनूपपुर विकास योजना, 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**.
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

देवास विकास प्राधिकरण, देवास

चामुण्डा कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, देवास, मध्यप्रदेश

प्रारूप-सोलह

[नियम 19(2) देखिए]

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

क्र. 1730 देवास, दिनांक 27 अगस्त 2020

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. **देवास विकास प्राधिकरण** (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक **TDS-02/2020** अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहॉ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैः–

सरल क्रमांक (1)	स्वामी का नाम (2)	तहसील (3)	ग्राम का नाम (4)	खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो) (5)	क्षेत्रफल हेक्टर में (6)
1	हीरालाल पिता मुन्नालाल देवास	देवास नगर	देवास सीनियर	411	1.132
2	कस्तूरी बाई विधवा मुन्नालाल सुरेश पिता लक्ष्मण दादी कस्तूरी बाई देवास		देवास सीनियर	412/1	0.672
3	महेश कुमार पिता मुन्नालाल देवास		देवास सीनियर	412/2/1	0.423
4	श्रीमती मीना पति हेमन्त वर्मा देवास		देवास सीनियर	412/2/2	0.005
5	कुवर जी पिता ऊंकार जी देवास		देवास सीनियर	422/1/13/1	2.140
6	बाबुलाल पिता ऊंकार जी,		देवास सीनियर	422/1/13/2	2.140
7	रामनारायण ऊंकार, बाबुलाल हेमराज पिता ऊंकार देवास			422/1/13/3	

8	बाबुलाल पिता ऊंकार जी देवास		देवास सीनियर	422/1/13/4	0.364
9	हेमराज पिता ऊंकार जी		देवास सीनियर	422/1/13/5	2.140
10	रामनाराण पिता ऊंकार जी		देवास सीनियर	422/1/13/6	2.023
11	नस्रूद्दीन पिता शेख छोटू देवास		देवास सीनियर	422/1/13/7	0.448
12	शमशुद्दीन पिता नस्रूद्दीन शेख		देवास सीनियर	422/1/13/8	0.477
13	अंजूम पति शमशुद्दीन		देवास सीनियर	422/1/13/9	0.027
14	श्रीमती अंजूम पति शमशुद्दीन		देवास सीनियर	421/7	0.035
15	शासकीय		देवास सीनियर	417 पेकी	1.410
16	शासकीय		देवास सीनियर	435 पेकी	0.256
17	शासकीय		देवास सीनियर	529 पेकी	0.300

कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा।

क्र. 1731 देवास, दिनांक 27 अगस्त 2020

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. **देवास विकास प्राधिकरण** (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक **TDS-03/2020** अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहॉ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैः–

सरल क्रमांक (1)	स्वामी का नाम (2)	तहसील (3)	ग्राम का नाम (4)	खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो) (5)	क्षेत्रफल हेक्टर में (6)
1	मेसर्स ईंगल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी डायरेक्टर, पुरूषोत्तम अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल	देवास नगर	जैतपुरा	104	2.898
2	मेसर्स ईंगल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी डायरेक्टर, पुरूषोत्तम अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल		जैतपुरा	105 P	0.362
3	कन्हैयालाल रामलाल नारायण पिता बवल जैतपुरा,		जैतपुरा	106/1	1.761
4	ज्ञानचंद पिता किशनचंद देवास,		जैतपुरा	106/2	0.086
5	धनराज पिता किशनचंद लालवानी देवास,		जैतपुरा	106/3	0.250
6	सुलोचना पति किशनचंद देवास,		जैतपुरा	106/4	0.226
7	हजारीलाल कैलाश पिता कन्हैयालाल देवास,		जैतपुरा	116 P	0.215
					5.798

कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा।

क्र. 1732 देवास, दिनांक 27 अगस्त 2020

प्रारूप–सोलह

(नियम 19(2) देखिए)

धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. **देवास विकास प्राधिकरण** (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक **TDS-04/2020** अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहॉ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:–

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	नमृता इस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि,. मोनिसा रियलिटी एण्ड फायनेंस प्रा.लि., मिगा डेव्हलपमेंट एण्ड मिथिला डेव्हलपमेंट रियलिटी प्रा.लि., नमृता डेव्हलपमेंट एण्ड फायनेंस प्रा.लि. नैना रियालिटी एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि., मनाली लीजिग एण्ड रियालिटी प्रा. लि. मृदु डेव्हलपमेंट एण्ड इस्टेट प्रा.लि. लता रियालिटी एण्ड फायनेंस प्रा.लि., नवल डेव्हलपमेंट एण्ड प्रा.लि.	देवास	जैतपुरा	378 P	0.156
2	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह		जैतपुरा	379/1	1.202
3	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.. वगैरह बशरह		जैतपुरा	379/2	1.619

4	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.. वगैरह बशरह		जैतपुरा	379/3	0.438
5	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह		जैतपुरा	379/3/1	0.759
6	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह		जैतपुरा	379/4	0.253
7	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि. वगैरह बशरह		जैतपुरा	379/5	0.254
8	परमानंद पिता पारूमल माधवानी, श्रीमती शारदा देवी पति परमानंद माधवानी, पेसुमल पिता पारूमल माधवानी, श्रीमती निर्मला देवी पति पेसुमल माधवानी देवास,		जैतपुरा	380/5/1	2.075
9			जैतपुरा	380/5/2	
10			जैतपुरा	380/5/3	
11			जैतपुरा	380/5/4	
12	नमृता ईस्टेट एण्ड डेव्हलपमेंट प्रा.लि.		जैतपुरा	382/3	0.650
13	राहुल पिता कैलाशचन्द्र डागा, देवास		जैतपुरा	380/6/1	0.030
14	कैलाश चन्द्र पिता गोपाल कृष्णा डागा देवास,		जैतपुरा	380/6/2	0.059
15	कैलाशचन्द्र पिता रायसिंह देवास,		जैतपुरा	380/6/2P	0.011
16	श्रीमती अंगुरी पति रामेश्वर दयाल अग्रवाल देवास,		जैतपुरा	380/6/3P	0.059
17	मुकेश पिता शंकर गिर देवास,		जैतपुरा	380/6/3P	0.011
18	श्रीमती संध्या पति मदन सिंह पटेल देवास,		जैतपुरा	380/6/3P	0.127
19	रमेशचन्द्र पिता चांदमल साहु देवास,		जैतपुरा	380/6/3P	0.040
20	श्रीमती सरस्वती पति रमेशचन्द्र देवास,		जैतपुरा	380/6/3P	0.039
21	श्रीमती मनोरमा देवास,		जैतपुरा	380/6/3	0.005
22	श्रीमती अंगुरी देवी देवास,		जैतपुरा	380/6	0.024
					7.811

कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा।

क्र. 1733 देवास, दिनांक 27 अगस्त 2020

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि. **देवास विकास प्राधिकरण** (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक**TDS-06/2020** अर्थात देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहॉ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है:–

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशो को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	1. वसीम पिता अब्दुल मजिद, लक्की पिता हरिश महाजन, राजेन्द्र पिता श्रीराम जैसवाल, विजेन्द्र पिता देवदास लश्करी, राकेश, 2. शासकीय, 3. कोई विवरण नही	देवास नगर	अमोना	1P	0.731
2	भैरूसिंह पिता सालगराम		अमोना	2	1.473
3	1. देवकरण पिता मॉगीलाल 2. शासकीय 3. कोई विवरण नही		अमोना	3P	1.982
4	1. देवकरण पिता मॉगीलाल 2. शासकीय		अमोना	5P	0.355
5	जगन्नाथ पिता रूगनाथ		अमोना	6P	1.265
6	1. भेरूसिंह पिता सालगराम 2. निरेभसिंह पिता सालगराम 3. जयसिंह पिता राजाराम 4. मानसिंह पिता राजाराम 5. लीलाबाई पति अशोक 6. ललीता बाई पति पोपसिंह		अमोना	7	0.167
7	1. चौकीदार इन्दरसिंह पिता देवीलाल 2. शासकीय 3. कोई विवरण नही 4. शासकीय		अमोना	8P	0.046
8	शासकीय		बिंजाना	51	0.161
9	शासकीय		बिंजाना	71	0.295
10	शासकीय		बिंजाना	72	0.027

11	1. भरतसिंह पिता करणसिंह 2. जितेन्द्र सिंह पिता भरतसिंह 3. कृष्णपाल पिता भरतसिंह 4. जितेन्द्रसिंह पिता भरतसिंह		नागुखेडी	135	0.114
12	हिन्दुसिंह पिता पन्नालाल		नागुखेडी	149	1.650
13	सुरेशचन्द्र पिता रामनिवास मोगल		नागुखेडी	221	1.918
14	सिद्धार्थ नगर बी.एन.पी अ.ज.जा कल्याण समिति देवास		नागुखेडी	222	1.079
15	बलदेवसिंह जयप्रकाश विशाल पिता माधोसिंह		नागुखेडी	226	1.798
16	पुष्पादेवी पिता बंशीलाल व्यास		नागुखेडी	227/1	1.262
17	गिरीश प्रकाश पिता शिवनारायण व्यास		नागुखेडी	227/2	1.518
18	विनय झालानी एण्ड संस, एच.डी.एफ कर्ता कविता दास पति विजय झालानी		नागुखेडी	228/1	0.287
19	विनय झालानी एण्ड संस, एच. डी.एफ कर्ता विनय झलानी पिता ओमप्रकाश झालानी		नागुखेडी	228/2	0.289
20	निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल		नागुखेडी	229/1	0.383
21	निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल		नागुखेडी	229/2	0.690
22	निखिल पिता दिनेश खण्डेलवाल		नागुखेडी	229/3	0.312
23	विनय कुमार पिता ओमप्रकाश झालानी		नागुखेडी	229/4	0.343
24	विनायक राव, शामभाजी राव पिता माधवराव, पुष्पाबाई वि. एकनाथ राव, विकास अकाश पिता एकनाथ राव, लता वि. सदाशिवराज, दीपक, संदीप पिता सदाशिवराव, गंगाबाई, हीराबाई प्रमिला बाई पिता माधवराव		नागुखेडी	230	1.415
25	श्री मारूती मंदिर		नागुखेडी	231	0.024
26	अंतरिक्ष सेन पिता शिवनाराण सेन		नागुखेडी	232	0.254

27	गंगाबाई पति राधाकृष्ण शंकर मदन तेजराम पिता राधाकृष्ण, हीरलाल, कमलाबाई रूकमा पिता लक्ष्मीनारायण दीलिप ईश्वर सुनीता बाई पिता मानसिंह, चतरबाई पति मानसिंह		नागुखेडी	233	5.102
28	हिन्दुसिंह पिता पन्नालाल		नागुखेडी	234	0.197
29	सुशीलाबाई पिता गोवर्धन दास		नागुखेडी	235	0.247
30	1. भरतसिंह पिता करणसिंह 2. राजकुवरबाई धन्नाबाई, ललीताबई, धापूबाई, गुलाबबाई, शिवकन्याबाई, रामकन्याबाई पिता करणसिंह		नागुखेडी	236	0.010
31	रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह		नागुखेडी	237	0.054
32	गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण		नागुखेडी	240	2.956
33	1. सावित्री बाई वि. कैलाश, नवीन, प्रदीप, शोभा, सरोज, पिता कैलाश 2. बाबुलाल पिता रामाजी 3. तेजुबाई वि. अजबसिंह, बेबीसिंह वि. जगदीश शेखर राधाबाई पिता जगदीश		नागुखेडी	241	1.583
34	1. सावित्रीबाई पति मुकेशसिंह रामाबाई पति कमलसिंह 2. बाबुलाल पिता रामाजी 3. तेजुबाई वि. अजबसिंह शिवनारायण, कन्हैयालाल, गणेश, कृष्णाबाई, गंगाबाई पिता अजबसिंह, बबीबाई वि. जगदीश शेखर राधाबाई पिता जगदीश		नागुखेडी	242	1.118
35	1. सावित्रीबाई पति मुकेशसिंह रामाबाई पति कमलसिंह 2. पुष्पाबाई पति डॉ. सुरेश शर्मा		नागुखेडी	243	0.902

36	तेजुबाई वि. अजबसिंह, शिवनारायण कन्हैयालाल, गणेश, कृष्णबाई, गंगाबाई पिता अजबसिंह, बेबीबाई वि. जगदीश, शेखर राधाबाई पिता जगदीश		नागुखेडी	244	0.662
37	रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह		नागुखेडी	245/1	1.734
38	रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह		नागुखेडी	245/2	1.777
39	रूपसिंह कैलाश सिंह पिता नारायण सिंह, तुलसीबाई वि. अर्जनुसिंह अनील अरूण पिता अर्जुनसिंह		नागुखेडी	245/3	0.102
40	शीला पति शिवप्रसाद		नागुखेडी	246	0.682
41	शीला पति शिवप्रसाद		नागुखेडी	247/1	0.245
42	श्रीमती सावित्री पति रामप्रदार्थ डायरेक्टर ऑफ लोमान्य शिक्षण समिति, श्री रामपद प. प्रभाकर प्रसाद मिश्रा प्राचार्य शिक्षण समिति		नागुखेडी	247/2	0.154
43	संतोष, जगदीश पिता चन्द्रसिंह सुन्दरबाई वि. चन्द्रसिंह		नागुखेडी	248/1	0.030
44	श्रीमती सावित्री पति रामप्रदार्थ डायरेक्टर ऑफ लोमान्य शिक्षण समिति, श्री रामपद प. प्रभाकर प्रसाद मिश्रा प्राचार्य शिक्षण समिति		नागुखेडी	248/2	0.050
45	कन्हैयालाल, संतोष चिन्ताबाई, गीताबाई		नागुखेडी	249	0.372
46	राजेन्द्र पिता गजराज मधुबाई पिता गजराज, मीराबाई वि. गजराज		नागुखेडी	250	1.138
47	श्रीराम मंदिर, प्रबंधक कलेक्टर महोदय देवास		नागुखेडी	251	5.121
48	निर्मलाबाई पति गजराजसिंह रघुवंशी		नागुखेडी	252/1	0.670
49	सुभाषचन्द्र पिता सावंत		नागुखेडी	252/2	0.551
50	रामसिंह पिता शालगराम		नागुखेडी	253/10	0.018

51	तुलसीराम, सुभाष पिता रामचन्द्र, कमलाबाई, सुगनबाई		नागुखेडी	254	0.646
52	1. गोपालसिंह पिता मदनसिंह 2. पांचुबाई वि. मदनसिंह		नागुखेडी	255	0.908
53	रामश्वेर पिता गणपत		नागुखेडी	256	0.699
54	राजेन्द्र पिता सुभाष		नागुखेडी	257	1.159
55	भेरूलाल पिता बोन्दा जी		नागुखेडी	258	1.622
56	महेश, जगदीश पिता बालमुकन्द, कान्ताबाई पिता बालमुकुन्द		नागुखेडी	259	1.036
57	भरत पिता करणसिंह		नागुखेडी	260	1.344
58	भगतसिंह, राकेशसिंह, सुरजसिंह		नागुखेडी	261	1.150
59	कृष्णा पिता पन्नालाल		नागुखेडी	262	1.319
60	विजया पति सुरेन्द्र, जया पति कुलदीप, भरत पहाडिया पिता शंतीलाल, रजनी पति भरत		नागुखेडी	263	1.163
61	शासकीय		नागुखेडी	264	1.557
62	श्रीधर पिता लक्ष्मण कोरी		नागुखेडी	265	0.118
63	1. मुन्नीलाल, कपील, अभिलाष, अमिता 2. सुभाष पिता गंदालाल 3. सोहनलाल पिता गंदालाल		नागुखेडी	266	0.198
64	1. बापु पिता दोलत 2. शासकीय		मेढकीचक	1p	1.703
65	1. सत्यनारायण पिता आनन्दीलाल 2. राधेश्याम पिता आनन्दीलाल 3. तेजुबाई पति शेरसिंह 4. सलीम शेख पिता छोटे खान		मेढकीचक	27	0.004
66	निहाल सिंह पिता अमरसिह		मेढकीचक	31	0.080
67	1. पन्नालाल पिता सिताराम 2. राजमल पिता सांवत		मेढकीचक	40	0.038
68	राजमल पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	44	0.529
69	सोनीबाई पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	45	2.184
70	अनोखीलाल पिता भुवान		मेढकीचक	46/1	0.262
71	करणसिंह पिता भुवान		मेढकीचक	46/2	0.454
72	शासकीय		मेढकीचक	47	0.529

73	शासकीय		मेढकीचक	48	0.112
74	कलाबाई पिता गेदालाल		मेढकीचक	55	0.037
75	रोधेश्याम पिता आनन्दीलाल		मेढकीचक	58	0.253
76	—		मेढकीचक	59	0.094
77	1. नन्दु पिता ओमकार 2. मोहनलाल पिता हरी 3. लीलाबाई, शंकुन्तालाबाई पिता नन्दु		मेढकीचक	60	1.190
78	मनोरमा वि. चरणसिंह, गजेन्द्रसिंह, महन्द्रसिंह पिता चरणसिंह		मेढकीचक	61	2.154
79	मथरालाल, रंछोड़ पिता भैरा		मेढकीचक	62	1.598
80	पन्नालाल पिता सीताराम		मेढकीचक	63/1	0.556
81	भागीरथ पिता सीताराम		मेढकीचक	63/2	0.585
82	ओमकार पिता सीताराम		मेढकीचक	63/3	0.576
83	राजेश पिता शंकरलाल गोयल		मेढकीचक	64/1	0.516
84	1. मनोज पिता प्रकाशचन्द 2. दीपक पिता पोपसिंह पटेल 3. नरेन्द्र पिता बाबुलाल मुकाती		मेढकीचक	65	1.002
85	बाबुलाल पिता नन्दराम		मेढकीचक	66/1	2.878
86	जितेन्द्र पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	66/2	0.518
87	जितेन्द्र पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	66/3	0.344
88	रामबाई पिता नन्दराम		मेढकीचक	66/4	0.326
89	रामबाई पिता नन्दराम		मेढकीचक	66/5	1.321
90	1. रामचन्द्र पिता नन्दलाल 2. रामभाऊ पिता नन्दराम 3. हरिचरण पिता नन्दराम		मेढकीचक	67	1.723
91	1. करणसिंह पिता भुवान 2. अनोखिलाल पिता भुवान		मेढकीचक	68	2.175
92	कलाबाई पिता गेंदलाल, अनोखिलाल पिता भुवान		मेढकीचक	69	0.393

108	गंगाबाई वि. दुलसिंह राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह गायत्रीबाई पिता कैलाशसिंह, शारदाबाई वि. कैलाश		मेढकीचक	83/2	0.314
109	पन्नालाल पिता सीताराम		मेढकीचक	84/1	1.477
110	अम्बाराम पिता बलवंत		मेढकीचक	84/2	0.470
111	लाखन, कमल पिता मॉगीलाल		मेढकीचक	84/3	0.195
112	सोरमाबाई पति भागीरथ		मेढकीचक	85/1	0.504
113	भागीरथ पिता सीताराम		मेढकीचक	85/2	0.355
114	कैलाश पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	85/3	0.267
115	पन्नालाल पिता सीताराम, कैलाश पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	86/2	1.159
116	लाखन, कमल पिता मॉगीलाल		मेढकीचक	86/3	1.135
117	भागीरथ पिता सीताराम		मेढकीचक	86/4	0.161
118	शासकीय		मेढकीचक	87	0.191
119	तुलसीराम, सुभाष पिता रामचन्द्र, कमलाबाई, सुगनबाई पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	88	0.694
120	सभाष, सोहनलाल पिता गंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल, कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल, अनीता पिता मॉगीलाल		मेढकीचक	95	0.022
121	तुलसीराम सुभाष पिता रामचन्द्र कमलाबाई, सुमनबाई पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	97	0.474
122	रामकन्याबाई वि. बापूसिंह बनेसिंह, राकेश, राधेश्याम पिता बापुसिंह गोवर्धन		मेढकीचक	99	0.006
123	1. पार्वतीबाई वि. शिवनारायण, संतोष दीपक पिता शिवनारायण 2. हरीसिंह पिता सुखदेव		मेढकीचक	100	0.993

124	1. गोपालसिंह पिता मदनसिंह 2. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह 3. पार्वतीबाई वि. शिवनारायण 4. तुलसीराम पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	101	1.179
125	तुलसीराम पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	102	0.599
126	श्री जीवनेश्वर माहदेव मंदिर		मेढकीचक	103	7.698
127	गोपाल पिता मदनसिंह		मेढकीचक	105/1	0.640
128	जगदीश पिता मानसिंह		मेढकीचक	105/2	0.085
129	जगदीश पिता मानसिंह		मेढकीचक	106	0.804
130	1. मंजूबाई वि. प्रकाश, श्रीराम कमल पिता प्रकाश 2. भरतसिंह पिता हरीसिह 3. चिन्तामण पिता हरीसिंह 4. भरतसिंह पिता हरीसिंह 5. चिन्तामण पिता हरीसिंह		मेढकीचक	107	3.758
131	1. भरतसिंह पिता हरीसिंह 2. पार्वतीबाई वि. शिवनारायण संतोष, दीपक पिता शिवनारायण		मेढकीचक	108	0.212
132	चिन्तामण पिता हरीसिंह		मेढकीचक	109	0.065
133	ओमकार पिता सीताराम		मेढकीचक	110	1.890
134	ओमकार पिता सीताराम		मेढकीचक	111	1.574
135	कैलाश पिता घासीराम		मेढकीचक	112	0.489
136	मथुराबाई पति ओमकारलाल		मेढकीचक	113/1	0.245
137	मथुराबाई पति ओमकारलाल		मेढकीचक	113/2	0.267
138	मथुराबाई पति ओमकारलाल		मेढकीचक	113/3	0.304
139	कचरूलाल पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	114	0.033
140	कचरूलाल पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	115	0.711
141	श्रीराम मंदिर, प्रबंधक कलेक्टर महोदय देवास		मेढकीचक	116	0.342

142	पंचायती गोया भू–स्वामी		मेढकीचक	117	0.569
143	भागीरथ पिता सीताराम		मेढकीचक	118	1.292
144	शासकीय		मेढकीचक	119	0.105
145	भागीरथ पिता सीताराम		मेढकीचक	120	2.000
146	सुमेरसिंह, प्रमसिंह पिता बोन्दरसिंह, अन्नपूर्णा पिता बोन्दरसिंह		मेढकीचक	121	2.269
147	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह		मेढकीचक	121/2	0.723
148	गंगाबाई वि. दुलसिंह राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह गायत्रीबाई पिता कैलाशसिंह, शारदाबाई वि. कैलाश		मेढकीचक	121/5	0.369
149	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह		मेढकीचक	122	0.073
150	शासकीय		मेढकीचक	124	0.249
151	शासकीय		मेढकीचक	125	0.267
152	शासकीय		मेढकीचक	126	0.158
153	1. सुभाष सोहन पिता गेंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल, अनीता पिता मॉगीला 2. कन्हैयालाल, संतोष पिता चम्पालाल 3. विक्रम राजेन्द्र पिता कोदा कलाबाई पिता कोदा		मेढकीचक	127	0.905
154	1. सोहन, मोहन पिता भागीरथ 2. जगदीश पिता बालमुकुन्द, मुन्नीबाई, कृष्णबाई, कान्ताबाई पिता बालमुकुन्द		मेढकीचक	128	1.043
155	श्यामलाल, कमलाबाई पिता तुलसीराम		मेढकीचक	129/1	0.712
156	आर्यन उर्फ चेतन पिता दशरथ उर्फ पिन्टु अ.प.कर्ता. माता रजनी पति दशरथ उर्फ पिन्टू		मेढकीचक	129/2	0.572
157	–		मेढकीचक	130/1	0.396

158	—		मेढकीचक	130/2	0.314
159	गोरीबाई वि. नानूराम, रामश्वेर, प्रकांश राजेश पिता नानूराम		मेढकीचक	132	1.020
160	1. बाहुदुर, सजनसिंह पिता पन्नालाल, कवीता पिता उमराव, कंचनबाई वि. पन्नालाल 2. जशेदाबाई वि. सीताराम		मेढकीचक	133	0.066
161	1. अशोक पिता रामचन्द्र 2. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण, दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण 3. मुरारीलाल पिता दुलीचन्द 4. अशोक पिता रामचन्द्र 5. मुरारीलाल पिता दुलीचन्द		मेढकीचक	136	0.314
162	पूनमचन्द लक्ष्मण पिता धूलजी, राजूबाई वि. नागू, घन्श्याम पिता जगदीश, नरेन्द्र पिता रामाजी श्यामबाई वि. तुलसीराम करण पिता तुलसीराम मोहन, कुन्दन पिता नागू		मेढकीचक	137/1	0.243
163	बादामीबाई पति भगवान		मेढकीचक	137/2	0.125
164	—		मेढकीचक	137/3	1.815
165	कंचनबाई वि. रामचन्द्र, राधेश्याम देवकरण पिता रामचन्द्र, रेश्माबाई सोरमबाई पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	138	0.003
166	शासकीय		मेढकीचक	139	0.748
167	नगर पालिक निगम, देवास, शासकीय		मेढकीचक	140	0.061
168	मथुरालाल, रणछोड़ पिता भैरा		मेढकीचक	141	0.013
169	शासकीय		मेढकीचक	156	0.795
170	शासकीय		मेढकीचक	157	2.166
171	मनोरमा वि. चरणसिंह, गजेन्द्रसिंह, महन्द्रसिंह पिता चरणसिंह		मेढकीचक	158	0.016

172	समन्दरसिंह पिता तेजसिंह		मेढकीचक	159/1	0.151
173	सुमेरसिंह, प्रमसिंह पिता बोन्दरसिंह, अन्नपूर्णा पिता बोन्दरसिंह		मेढकीचक	159/2	0.461
174	1. रमेश पिता बद्रीलाल 2. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनाराण 3. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण, दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण		मेढकीचक	160	1.956
175	आनन्दीलाल वि. लक्ष्मीनाराण दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण		मेढकीचक	161	0.097
176	1. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण, दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण 2. आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण दीनेश पिता लक्ष्मीनारायण, गोपाल पिता लक्ष्गीना२।५॥, गोपाल मोहन पिता चम्पालाल		मेढकीचक	162	0.320
177	मथुरालाल, रणछोड़ पिता भैरा		मेढकीचक	163	0.222
178	रमेश पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	164	0.373
179	रमेश पिता बद्रीलाल		मेढकीचक	165	1.981
180	सत्यनारायण पिता वृन्दावन पिता रामसिंह, जमनाबाई वि. रामसिंह		मेढकीचक	166	1.769
181	आनन्दीबाई वि. लक्ष्मीनारायण पिता गोपाल मोहन		मेढकीचक	167	0.687
182	तुलसीराम सुभाष पिता रामचन्द्र कमलाबाई वि. रामचन्द्र, सुमनबाई पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	168	0.619
183	तुलसीराम सुभाष पिता रामचन्द्र कमलाबाई वि. रामचन्द्र, सुमनबाई पिता रामचन्द्र		मेढकीचक	169	1.525
184	1. गोपाल कैलाश पिता राजाभऊ 2. रेश्मबाई वि. रमश, ईश्वर, रामदायल पिता रमेश 3. ओमप्रकाश		मेढकीचक	170	1.104

185	1. गोपाल कैलाश पिता राजाभऊ 2. रेश्मबाई वि. रमश, ईश्वर, रामदेायल पिता रमेश 3. ओमप्रकाश		मेढकीचक	171	0.215
186	अम्बाराम, विष्णु पिता गणपत		मेढकीचक	172	0.310
187	शासकीय		मेढकीचक	173	1.751
188	शासकीय		मेढकीचक	174	0.412
189	शासकीय		मेढकीचक	175	0.147
190	शासकीय		मेढकीचक	176	0.532
191	1. सोहनसिंह पिता राधेश्याम 2. सुनील, अनील पिता घनश्याम पवित्रा वि. घनश्याम		मेढकीचक	178	0.425
192	1. हरीराम पिता पूनमचन्द 2. लाखन पिता पूनमचन्द		मेढकीचक	179	0.017
193	1. हरीराम पिता पूनमचन्द 2. लाखन पिता पूनमचन्द		मेढकीचक	180	0.214
194	केदारमल पिता रणजीत		मेढकीचक	181/1	0.278
195	विष्णुप्रसाद पिता देवकरण		मेढकीचक	181/2	0.279
196	1. भगवानसिंह पिता सावन्त 2. विष्णुप्रसाद पिता देवकरण		मेढकीचक	182	0.269
197	रामबक्श निरेश पिता नागजीराम पवितााबाई, मायाबाई, बसकन्याबाई पिता नागजीराम, नाथीबाई पति नागजीराम		मेढकीचक	183	0.463
198	शासकीय		मेढकीचक	184	0.324
199	दीनेश पिता राधाकृष्ण		मेढकीचक	185	0.703
200	1. शिवजीराम पिता सावन्त 2. सुशीला पिता गोतम प्रजापति 3. हरीराम पिता पूनमचन्द 4. लाखन पिता पूनमचन्द		मेढकीचक	186	2.122

201	रामबक्श निरेश पिता नागजीराम पविताबाई, मायाबाई, बसकन्याबाई पिता नागजीराम, नाथीबाई पति नागजीराम		मेढकीचक	187/1	0.285
202	रामचन्द्र पिता रणजीत		मेढकीचक	187/2	0.280
203	मदनलाल पिता घासीराम		मेढकीचक	187/3	0.062
204	बद्रीलाल, मुरारीलाल		मेढकीचक	187/4	0.183
205	सुनील, अनील पिता घनश्याम, पविताबाई		मेढकीचक	191	0.210
206	राधेश्याम पिता अम्बाराम		मेढकीचक	192	0.483
207	रामबक्श निरेश पिता नागजीराम पविताबाई, मायाबाई, बसकन्याबाई पिता नागजीराम, नाथीबाई पति नागजीराम		मेढकीचक	193/1	0.045
208	बद्रीलाल, मुरारीलाल		मेढकीचक	193/2	0.034
209	सुशीला पति गोतम प्रजापति		मेढकीचक	194	0.220
210	पार्वतीबाई वि. रणछोड़, पवन, प्यारेन्द्र पिता रणछोड़, बाबीताबाई पिता रणछोड़, नारायण राधेश्याम		मेढकीचक	195/1	0.364
211	पार्वतीबाई वि. रणछोड़, पवन, प्यारेन्द्र पिता रणछोड़, बाबीताबाई पिता रणछोड़, नारायण राधेश्याम		मेढकीचक	195/2	0.185
212	—		मेढकीचक	196	0.298
213	1. सुभाष सोहन पिता गेंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल, अनीता पिता मॉगीला 2. कन्हैयालाल, संतोष पिता चम्पालाल		मेढकीचक	197	0.050
214	1. भगवानसिंह पिता सावन्त 2. शिवाजीराम पिता सावन्त 3. लाखन पिता पूनमचन्द		मेढकीचक	198	0.768

215	1. सुभाष सोहन पिता गेंदालाल, मुन्नीबाई वि. मॉगीलाल कपील, अभिलाष पिता मॉगीलाल, अनीता पिता मॉगीला 2. कन्हैयालाल, संतोष पिता चम्पालाल		मेढकीचक	199	0.586
216	सुनील, अनील पिता घनश्याम, पविताबाई वि. घनश्याम		मेढकीचक	200	0.417
217	केदारमल पिता रणजीत		मेढकीचक	201	0.299
218	शासकीय		मेढकीचक	202	0.227
219	1. रमेशचन्द पिता रणजीत 2. बद्रीलाल, मुरारीलाल पिता घासीराम 3. रामबक्श, निरेश पिता नागजीराम पविताबाई मायाबाई, बसकन्याबाई पिता नागजीराम नाथीबाई पति नागीराम		मेढकीचक	203	0.113
220	1. रमेशचन्द पिता रणजीत 2. बद्रीलाल, मुरारीलाल पिता घासीराम 3. गोतम पिता गोपाल		मेढकीचक	204	0.502
221	1. लाखन पिता पूनमचन्द 2. हरीराम पिता पूनमचन्द 3. गोतम पिता गोपाल 4. सुशीला पिता गोतम प्रजापति 5. राजेन्द्र पिता कैन्हयालाल, रानी, कपील, ज्योति पिता राजेन्द्र		मेढकीचक	205	0.255
222	शासकीय		मेढकीचक	206	0.503
223	गोतम पिता गोपाल		मेढकीचक	208	0.346
224	शासकीय		मेढकीचक	210	0.153
225	1. श्रीमती मीराबाई पति भाईरथ 2. श्रीमती गुलाबबाई पति मुन्नालाल		मेढकीचक	211	0.448
226	1. लाढसिंह पिता भंवरसिंह, सुगानसिंह पिता अमरसिंह, सुजानसिंह वि. संतोष अंकित पिता संतोष		मेढकीचक	212/1,2	0.545
227	रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल		मेढकीचक	213/1	0.664

228	गोपाल पिता भगवान		मेढकीचक	213/2	0.697
229	1. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल 2. निहालसिंह पिता अमरसिंह 3. देवकरण पिता अमरसिंह 4. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह		मेढकीचक	214	1.258
230	1. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल 2. निहालसिंह पिता अमरसिंह 3. देवकरण पिता अमरसिंह		मेढकीचक	215	0.242
231	1. निहासिंह पिता अमरसिंह 2. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल		मेढकीचक	216	0.361
232	1. दीप पिता अशोक थेराट 2. रतनबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल 3. निहालसिंह पिता अमरसिंह 4. देवकरण पिता अमरसिंह 5. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह 6. देवकरण पिता अमरसिंह 7. निहालसिंह पिता अमरसिंह 8. रतनाबाई वि. बाबु प्रेमकुमार पिता बाबुलाल 9. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह		मेढकीचक	217	1.607
233	1. बसंतीबाई पति पोपसिंह 2. राजश, जितेन्द्र पिता भवरसिंह, मीरबाई 3. छतरसिंह पिता बलवंतसिंह 4. ताराबाई वि. करणसिंह		मेढकीचक	218	0.167
234	1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह 2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह 3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह 4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह		मेढकीचक	219	0.246
235	बसंतीबाई पति पोपसिंह		मेढकीचक	220	0.218

236	1. राजेश, जितेंन्द्र पिता भवरसिंह, मीराबाई 2. ताराबाई वि. करणसिंह		मेढकीचक	221	0.218
237	1. राजेश, जितेंन्द्र पिता भवरसिंह, मीराबाई 2. छतरसिंह पिता बलवंतसिंह 3. ताराबाई वि. करणसिंह		मेढकीचक	222	0.643
238	1. राजेश, जितेंन्द्र पिता भवरसिंह, मीराबाई 2. छतरसिंह पिता बलवंतसिंह 3. ताराबाई वि. करणसिंह		मेढकीचक	223	0.785
239	1. छतरसिंह पिता बलवंतसिह 2. बसंतीबाई पति पोपसिंह 3. ताराबाई वि. करणसिंह		मेढकीचक	224	0.413
240	1. रतनबाई वि. बाबु, प्रेमकुमार पिता बाबुलाल 2. निहालसिंह पिता अमरसिंह 3. देवकरण पिता अमरसिंह 4. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह		मेढकीचक	225	0.777
241	बसतीबाई पिता अमरसिंह		मेढकीचक	226	0.580
242	1. देवकरण पिता अमरसिंह 2. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह 3. रतनबाई वि. बाबु, प्रेमकुकार पिता बाबुलाल 4. निहालसिंह पिता अमरसिंह 5. देवकरण, राधाकृष्ण, निहालसिंह, बाबुलाल 6. देवकरण पिता अमरसिंह 7. राधाकृष्ण पिता अमरसिंह		मेढकीचक	227	2.444
243	सुभाष पिता निहालसिंह		मेढकीचक	228/1	0.050
244	1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह 2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह 3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह 4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरज़सिंह		मेढकीचक	230/1	0.514

245	1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह 2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह 3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह 4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह		मेढकीचक	230/2	0.014
246	1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह 2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह 3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह 4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह		मेढकीचक	231/1	0.194
247	1. होशयारसिंह पिता सुरजसिंह 2. प्रदीपसिंह पिता सुरजसिंह 3. महेन्द्रसिंह पिता सुरजसिंह 4. चन्द्रपालसिंह पिता सुरजसिंह		मेढकीचक	231/2	0.060
248	मुलचन्द पिता भगवान		मेढकीचक	234/1	0.091
249	गोपाल पिता चम्पालाल		मेढकीचक	337	0.673
250	बाबुसिंह पिता बदीसिंह		मेढकीचक	338	0.346
251	बाबुसिंह पिता बद्रीसिंह		मेढकीचक	10,41,05,339	0.700
252	1. गोपाल पिता चम्पालाल 2. मोहन पिता चम्पालाल		मेढकीचक	340	0.313
253	मोहन पिता चम्पालाल		मेढकीचक	354	0.456
254	जगदीश पिता मानसिंह		मेढकीचक	355	1.279
255	बाबुसिंह पिता बद्रीसिंह		मेढकीचक	356/1	0.312
256	शासकीय		वीराखेडी	1	0.272
257	तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई		वीराखेडी	2	0.755

259	तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई		वीराखेडी	4	0.488
260	तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई		वीराखेडी	5	0.025
261	शासकीय		वीराखेडी	6	0.253
262	1. तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश उमरावसिंह, गोपिचंद 2. उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई तेजकरण पिता रमेश, सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्या वि. रणछोड़		वीराखेडी	7P	3.017
263	तेजकरण पिता रमेश सरजुबाइ वि. रमेश ममताबाई इन्द्रबाई पिता रमेश, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़		वीराखेडी	8	1.771
264	तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़ उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई		वीराखेडी	9	0.867
265	शासकीय		वीराखेडी	10	0.503

266	तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़ उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई		वीराखेडी	11	0.152
267	ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश सुरजबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	12	1.809
268	उमरावसिंह, गोपिचन्द तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	13P	1.393
269	उमरावसिंह, गोपिचन्द तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	13P	0.899
270	उमरावसिंह, गोपिचन्द तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़		वीराखेडी	14	0.955
271	1. नारायण पिता भुवान 2. भागीरथ गंगाबाई, जमनाबाई पिता रणछोड़ 3. श्रीराम पिता भवानजी		वीराखेडी	15	0.504
272	शासकीय		वीराखेडी	16	0.022

273	1. तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश उमरावसिंह, गोपिचंद 2. उमरावसिंह, गोविंद, तेजकरण पिता रमेश, सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्या वि. रणछोड़		वीराखेडी	17P	0.670
274	उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़ तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	18	0.038
275	ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड उमरावसिंह, गोविंद कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई, इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	19	0.217
276	आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल		वीराखेडी	20	0.300
277	आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल		वीराखेडी	21	0.229
278	आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल		वीराखेडी	22	0.803
279	आशीष पिता कमल पटेल अ.प. कर्ता रेखाबाई पिता बाबुलाल		वीराखेडी	23	0.415
280	शासकीय		वीराखेडी	24	0.305
281	बाबुलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	25P	0.132
282	चतरबाई पिता रमेशचन्द्र निर्मलाबाई वि. केदार		वीराखेडी	25P	0.153
283	बद्रीलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	25P	0.078
284	बद्रीलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	26P	0.200
285	चतरबाई पिता रमेशचन्द्र निर्मलाबाई वि. केदार		वीराखेडी	26P	0.189

286	बाबुलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	26P	0.120
287	बद्रीलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	27/1	0.051
288	चतरबाई पिता रमेशचन्द्र निर्मलाबाई वि. केदार		वीराखेडी	27/2	0.030
289	बाबुलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	27/3	0.035
290	बाबुलाल पिता बुध्या		वीराखेडी	28	0.033
291	शासकीय		वीराखेडी	32	0.003
292	ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़, उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	88	0.012
293	भागीरथ पिता रणछोड		वीराखेडी	94	0.488
294	उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, तेजकरण पिता रमेश, सरजुबाई वि. रमेश, ममताबाई, इन्द्राबाई पितारमेश, ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़, आयोध्याबाई वि. रणछोड़		वीराखेडी	95	0.651
295	भागीरथ पिता सीताराम		वीराखेडी	96	0.894
296	उमरावसिंह, गोविंद, कौशलियाबाई, ठाकुर प्रसाद पिता रणछोड़ आयोध्याबाई वि. रणछोड़ तेजकरण पिता रमेश सरजुबाई वि. रमेश ममताबाई इन्द्राबाई पिता रमेश		वीराखेडी	96/220	0.280
297	भागीरथ, गंगाबाई, जमनाबाई पिता रणछोड़		वीराखेडी	97/1	1.209
298	भागीरथ पिता रणछोड़		वीराखेडी	97/2	1.001
299	भागीरथ पिता रणछोड़		वीराखेडी	97/321	0.112
300	कालुराम सिंगाराम मदनलाल		वीराखेडी	98	2.171
301	चेतन पिता सुभाष पटेल		वीराखेडी	99	2.751
302	शासकीय		वीराखेडी	100	0.431
303	चन्द्रकान्ताबाई पति महेन्द्रसिंह		वीराखेडी	101	1.177
304	गीताबाई पति घनश्याम प्रजापति		वीराखेडी	101/328	0.225
305	रामेश्वर, राजाराम गोपाल पिता सिद्धनाथ		वीराखेडी	102	2.700
306	शासकीय		वीराखेडी	103	0.476
307	लीलाधर पिता रामदेव		वीराखेडी	104	1.010
308	संजय कुमार पिता घनश्याम		वीराखेडी	105/1	0.909
309	राजमल पिता रामदेव		वीराखेडी	106/1	0.937
310	आलमदार पिता सुलेमान		वीराखेडी	106/4	2.203
311	—		वीराखेडी	107	0.510

312	शासकीय		वीराखेडी	108	0.262
313	1. रामप्रसाद पिता मुन्नालाल 2. उमराव पिता कोदा 3. बाबुलाल पिता शिवजीराम 4. पिरागबाई वि. शिवजीराम, संजु भैरू पिता शिवजीराम		वीराखेडी	109	0.363
314	1. कालुराम सिंगाराम, मदनलाल 2. चेतन पिता सुभाष पटेल 3. नाथुलाल श्रीराम घनश्याम पिता रामचन्द्र		वीराखेडी	110	1.355
315	घनश्याम, लीलाधर पिता रामदेव, भागवंतीबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश अ.प.कर्ता दादा रामदेव पिता हनुमान		वीराखेडी	132/1	0.029
316	भगवंतिबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश		वीराखेडी	132/2	0.081
317	भगवंतिबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश		वीराखेडी	133/1	0.566
318	भगवंतिबाई वि. सुधीश, कार्तिक पिता सुधीश		वीराखेडी	134/1	0.008
319	शासकीय		वीराखेडी	146/1	0.105
320	शासकीय		वीराखेडी	146/2	0.002
					232.487

कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नही करेगा।

विशाल सिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 12-अ-82-20-21-भू-अर्जन-20-4308 सागर, दिनांक 7 जुलाई 2020

मौजा पिपरिया करकट पट.ह.नं.–87 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता, निर्माण–II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना–कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1– अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी सागर 2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3– सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया करकट 4– सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया करकट
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	पिपरिया करकट
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.082 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 में से कुल रकवा 2.082 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना–कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत्।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 2.082 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.082 है.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 13-अ-82-20-21-भू-अर्जन-20-4307

मौजा लिधौरा खुर्द पट.ह.नं.–97 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता, निर्माण–II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना–कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1– अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी सागर 2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3– सरपंच ग्राम पंचायत लिधौरा खुर्द 4– सचिव ग्राम पंचायत लिधौराखुर्द
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	लिधौरा खुर्द
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.329 हे.
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150/1, 150/2, 151, 153 में से कुल रकवा 2.329 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना–कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत्।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 2.329 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.329 है.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 14-अ-82-20-21-भू-अर्जन-20-4309

मौजा रंगोली पट.ह.नं.–104 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य अभियंता, निर्माण–II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	बीना–कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1– अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी सागर 2– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर 3– सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली 4– सचिव ग्राम पंचायत रंगोली
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	सागर
(ग)	ग्राम/नगर	रंगोली
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	5.963 हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	खसरा नंबर 74/1, 99. 98, 58, 59/1, 360, 361, 362/1, 305, 306, 304, 303/2, 303/1, 309, 302, 317/1, 250, 251, 253, 252, 247, 248, 124/1, 123/1, 126/3, 110/3, 103, 105, 104, 106, 101, 127, 125 में से कुल रकवा 5.963 हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	बीना–कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत्।
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 5.963 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 5.963 है.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

क्र. 31-अ-82-18-19-4588 सागर, दिनांक 25 जुलाई 2020

दलपतपुर ग्रन्ट पटवारी हल्का नं. 35 तहसील खुरई

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची–1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :– हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला — सागर
2. तहसील — खुरई
3. ग्राम — दलपतपुर ग्रन्ट
4. पटवारी हल्का नं. — 35
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल — 165.619 हेक्टेयर

:: अनुसूची –01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	घनश्याम पिता हरकिशन पता सा आलखेडी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	1.110	0.110	1.400
2	रविन्द्रकुमार पिता कोमलचंद जैन पता नानक वार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.400		
3	जगदीश पिता गोरेलाल, कुसुमरानी पति जगदीश पता सा खुरई	भूमि स्वामी	7	1.610	0.730	0.880
4	घासीराम, रामप्रसाद पिता हरचंद नत्थीबाई बेवा हरचंद पता सा खुरई	भूमि स्वामी	8	1.580	0.990	0.590

5	हरदयाल, परमानंद व विनोद ना वा पिता रामचरण सिया, सियारानी बेवा रामचरन पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	1.610	0.750	0.860
6	हल्कीबाई बेवा भुज्जी पता सा खुरई	भूमि स्वामी	10	1.530	1.530	0.000
7	अभय पिता धन्नालाल सराफ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	1.610	1.610	0.000
8	मनीषकुमार दीपककुमार ना.वा.पिता व पालक जमुनाप्रसाद पिता रघुवरप्रसाद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	1.710	1.650	0.060
9	रामलाल हजारी पिता पुन्ना अहिरवार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	1.610	1.610	0.000
10	सोनाबाई आश्रम खुरई मु. इन्द्रानीबहू जोजे रिषभकुमार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	1.210	1.210	0.000
			38	15.160	15.160	0.000
			40	13.840	13.840	0.000
			42	0.090	0.090	0.000
			86	12.150	12.150	0.000
			88	14.810	14.810	0.000
			114/1/1	4.740	4.740	0.000
11	हरदयाल पिता रामचरन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.650	1.200	0.450
12	रमेश पिता रतन लक्ष्मीबाई पति रमेश पता सा-देह	भूमि स्वामी	16	0.580	0.180	0.400
	शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	67	0.400	0.130	0.270
13	बबलू, हरीराम, कमलेश पिता सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	1.110	0.400	0.710
14	नत्थूबाई पुत्री पूरन बैनीबाई बेवा पूरन जाति चमार पता सा खुरई शासकी पट्टेदार	भूमि स्वामी	18	1.210	0.510	0.700
15	मनीषकुमार, दीपक कुमार ना वा पिता व पालक जमना प्रसाद पिता रघुवर प्रसाद सा खुरई	भूमि स्वामी	19	1.610	0.270	1.340
16	धन्नालाल गोविन्द्र केशरबाई, कोशाबाई पिता अमान पता सा खुरई	भूमि स्वामी	20	1.610	0.170	1.440
17	लक्ष्मीबाई बेवा मंगल मनोज दुर्गा, मीरा, भागवती, शीला पिता मंगल पता सा खुरई	भूमि स्वामी	25	1.150	0.050	1.100
18	गुडडीबाई बेंवा कल्लू आदिवासी पता संतरविदास वार्ड खुरई सागर म.प्र. संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.650	0.410	0.240

			45	0.500	0.020	0.480
19	हिमांशु उर्फ शिमांशु पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता पता सा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.500	0.470	0.030
20	(शासकीय) बहूदा खातून बेवा अब्दुल खातून पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	1.110	0.070	1.040
21	दशोदा बाई बेवा रामलाल विमलाबाई, निर्मला पुत्री रामलाल पता सा खुरई	भूमि स्वामी	29	1.210	0.030	1.180
22	गोपाल पिता लच्छु पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	1.200	0.290	0.910
23	कन्छेदी पिता बल्देव लक्ष्मीबाई पुत्री बल्देव सौर सा खुरई	भूमि स्वामी	49	1.210	0.560	0.650
24	मुन्ना पिता नन्हा श्यामवाई पति मुन्ना पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	0.400	0.400	0.000
25	नारायन पिता प्यारेलाल सुशीला पति नारायन पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.400	0.300	0.100
26	फुलसींग प्.आसाराम श्रीवाई पति फूल सींग पता निवासी खजराहरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	0.400	0.400	0.000
27	नारान पिता भैरो श्रीवाई पति नारान पता निवासी खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.400	0.400	0.000
28	अशोक पिता रमेश पता निवासी खजरा हरंचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60	0.400	0.240	0.160
29	हरिक़ष्ण पिता कमलनारायण शुक्ला पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	1.280	0.620	0.660
30	गन्श पित गोले,सुहागरानी पति गनेश पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.400	0.100	0.300
31	फदाली पि.गज्जू ,श्रीवाई पति फदाली पता निवासी ग्राम खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.400	0.090	0.310
32	घुमन पिता उमराव पता निवासी खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.400	0.200	0.200

33	परषोत्तम रतन कैलाश बलराम पिता दुर्जन रूपरानी बेवा दुर्जन पता निवासी खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	0.400	0.380	0.020
34	रमेश महेश जग्गू कस्तूरी बाई अंगूरी बाई अनिता बाई पिता मुल्ले फूलरानी बेबा फुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.400	0.400	0.000
			78	0.400	0.400	0.000
35	नन्दू पिता बलवंत राजनबाई पुत्री बलवंत पता सा0 खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84	0.550	0.550	0.000
			91	0.660	0.660	0.000
36	ज्योति पति नीरज जैन पता सा. खुरई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	भूमि स्वामी	90/1	0.800	0.800	0.000
37	मुहम्मद उवेश पिता अब्दुल शकूर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी मुहम्मद इशाक पिता अब्दुल शकूर पता खुरई खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/2	0.800	0.800	0.000
			90/12	0.310	0.310	0.000
38	नारान पिता दुर्जन नब्बो पति नारान पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/4	0.800	0.800	0.000
39	मन्नू पिता सुक्के विमलाबाई पति मन्नू पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/5	0.800	0.800	0.000
40	मल्थू पिता राजाराम मीराबाई पति मल्थू पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/6	0.800	0.800	0.000
41	मन्नू पिता अजुददी पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/7	0.800	0.800	0.000
42	गोविन्द पिता नवल राजकुमारी पति गोविन्द पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/8/1	0.200	0.200	0.000
43	फिरोज अफरोज आजम अकिव सावियां पिता बाबू खॉ अरजोमन वेवा बाबूखॉ पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/8/2	0.600	0.600	0.000
44	हरीशंकर बा गोलू नाबा पिता धनू राजकुमारी अनीता बा हल्कीबिन्नी नाबा पिता धन्नू पालक भाई हरीशंकर पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/9	0.800	0.800	0.000

45	कुंदन पिता दमरू मोतीबाई पति कुन्दन पता सा महूनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/10	0.800	0.800	0.000
46	लक्ष्मीबाई पति रतन पता सा दलपतपुर मालगुजारी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	90/11	0.980	0.980	0.000
47	विजय पिता कमल बइडी बेन बेबा कमल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	1.210	1.210	0.000
48	रमेश पिता धनीराम सविता पति रमेश पता निवासी खुरई	भूमि स्वामी	98	0.400	0.250	0.150
49	कुरेशवी पति अल्ताफ खाँ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	1.200	0.550	0.650
50	फिरोज खां पिता अल्ताफ खाँ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	1.210	0.040	1.170
51	गौरीबाई बेबा दलीप गोविन्द धनीराम श्याम लाल मालती बाई पिता खुरई पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	शासकीय पट्टेदार	101/2	1.200	1.200	0.000
52	लक्ष्मनसिंह पिता भगवानदास चंदेल पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3/1	0.400	0.400	0.000
53	पूनम पति गिरिराजसिंह ठाकुर पता सा नेहरू वार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3/2	0.400	0.400	0.000
54	रफीक पिता खलील खान पता सा शिवाजी वार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/4	0.800	0.800	0.000
55	नंनीबाई वेवा धनसे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गेंदालाल रामप्रसाद मोहन तुलसरीराम बेनीबाई पिता धनसे अबधरानी वेवा खचोरी कमलेश मनीष रामा पिता खचोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/5	0.800	0.140	0.660
56	हीराबाई वेवा हीरा सोर पता निवासी ग्राम शासकीय पंट्टेदार (विभाग)	शासकीय पट्टेदार	101/7	0.800	0.800	0.000
57	रतीबाई पि खुमान पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	शासकीय पट्टेदार	101/8	0.800	0.800	0.000

58	प्रकाश पिता हल्के गेदारानी पति प्रकाश पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	शासकीय पट्टेदार	101/9	0.800	0.010	0.790
59	सुन्दर पिता काशीराम पता सा दलपतपुर मालगुजारी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	101/10	0.800	0.765	0.035
60	योगेश पिता भोजराज पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	1.210	1.189	0.021
61	कोमल हीरा ना.वा.पिता मटठा रूक्काबाई रामवती वा. लक्ष्मीबाई ना.वा.पुत्री मटठा वली व खुद मां रूकमन भूमि स्वामी बेबा मटठा पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	1.210	1.210	0.000
62	अमित पिता सूर्यकिरण चौबे पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104	1.210	1.035	0.175
63	प्यासीबहू बेबा मोहन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105	1.200	1.200	0.000
64	अजयसिंह नावा पिता व बली लक्षमणसिंह पिता भगवान दास पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	1.210	1.210	0.000
65	पूरन सुरेश ना.वा.पिता गनेश पुष्पाबाई व विजयबाई वा.श्रीबाई ना.वा.पुत्री गनेश वली व खुद मां गुलाबरानी बेवा गनेश पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	1.200	1.200	0.000
66	नारान संतोष गुलाबबाई पिता लच्छू रतिबाई बेवा लच्छू चुन्नीलाल जानकीबाई बा0 कमलेश बबीता नाबा पिता रामप्रसाद बली आजी रतीबाई पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	1.230	1.230	0.000
67	गोपी नत्थू नारायन पिता फूलसींग गुलाबरानी बेबा फूलसींग मोतीबाई मालतीबाई पुत्री फूलसींग पता सा.खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	1.210	1.210	0.000
68	बैजन्ती बेवा लाखनसींग शिवकुमार संदीप सोनम सपना पिता लाखनसींग पता खजराहचन्द खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/1	0.430	0.430	0.000

69	निरनसीग पिता जगतसीग पता सा0 खजराहरचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2/1/क	0.400	0.400	0.000
70	हरनारायण पिता बट्टूलाल पता निवासी ग्राम खरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2/1/ख	0.800	0.800	0.000
71	महेन्द्रकुमार पिता रामेश्वर प्रसाद नेमा पता सा0 खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/2/2	0.200	0.200	0.000
72	नत्थूसीग पिता भैयालाल यादव पता निवासी ग्राम खजराहरचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/3	1.600	1.600	0.000
73	गौरीशंकर पिता लच्छू अहिरवार पता सा प्रतापवार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/2	7.600	7.600	0.000
74	चन्द्रारानी पति लच्छू पता सा बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/3	2.400	2.400	0.000
75	बाबूसिंह वीरेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह पिता कीरतसिंह पता सा धन्सरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/4	12.520	12.520	0.000
76	ठाकुरदास पिता फूलसिंह हरीसिंह पिता फूलसिंह जाहरसिंह पिता हरीसिंह रमेशसिंह पिता ठाकुरदास पता सा हनौता भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/5	4.880	4.880	0.000
77	लच्छू पिता मुलू अहिरवार पता प्रताप वार्ड बीना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/6	1.200	1.200	0.000
78	रघुवीर पिता बाबूलाल अहिरवार पता सा अब्दुल हमीद बार्ड खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1/7	0.800	0.800	0.000
79	शिवकुमार पिता लाखन सींग पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/2	1.170	1.170	0.000
			114/10	0.800	0.800	0.000
			114/14	0.400	0.400	0.000
80	मुकेश पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/1	0.400	0.400	0.000
81	शिशुपाल पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/2	0.400	0.400	0.000
82	जितेन्द्र पिता जसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/3	0.400	0.400	0.000
83	धर्मेंद पिता जंसवंत सिंह पता खजरा हरचंद खुरई सागर	भूमि स्वामी	114/3/4	0.400	0.400	0.000

	मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी		114/8	3.200	3.200	0.000
84	शिवकुमार संदीप पिता लाखनसींग पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/3/5	0.400	0.400	0.000
85	संदीप पिता लाखन सींग पता खजरा हरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/4	3.200	3.200	0.000
86	मुकेश पिता जसवतसीग पता सा0 खजरा हचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/5	3.200	3.200	0.000
87	शिशुपाल पिता जसवतसीग पता सा0खजराहचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/6	3.200	3.200	0.000
88	जितेन्दसीग पिता जसवतसीग पता सा0खजराहचन्द भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/7	3.200	3.200	0.000
89	फुलरानी पति जशवंतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/9	3.200	3.200	0.000
90	तोफानसिह पिता जगतसिह पता सा.खजराहरचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/11	0.800	0.800	0.000
91	रामसखी ऊर्फ राधामोहनी पति हरिकृष्ण शुक्ला पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/12	1.400	1.400	0.000
92	खिलानसीग पिता जगतसीग पता सा0खजराहचद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/13	0.800	0.800	0.000
	योग		106	185.750	165.619	20.131

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10. 2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 46-अ-82-17-18-भू-अर्जन-20-4995 सागर, दिनांक 30 जुलाई 2020

मौजा बम्हौरी पट.ह.नं.–133/58 तहसील जैसीनगर

परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु मौजा बम्हौरी पटवारी हल्का नंबर–133/58 तहसील जैसीनगर जिला सागर की प्रभावित भूमि अर्जन हेतु भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 46अ/82/17–18 में भूमि अर्जन पुनर्वावन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक–46अ/82/17–18/5216 सागर, दिनाक 03/07/2019 जारी की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि दिनांक 02/07/2020 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कोविड–19 वैश्विक महामारी में लॉकडाऊन होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा और सार का प्रकाशन नहीं की जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 11(1) की प्रारंभिक अधिसूचना की एक मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

क्र. 17-अ-82-20-21-भू-अर्जन-5006 सागर, दिनांक 31 जुलाई 2020

मौजा नीमोन पटवारी हल्का नं.00015 तहसील बण्डा

चूकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची–1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक–22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनाक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :– बण्डा परियोजना बण्डा बांध

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला सागर
2. तहसील बण्डा
3. ग्राम नीमोन
4. पटवारी हल्का नं. 15
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 3.570 हेक्टेयर

:: अनुसूची –01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे.मे.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	गिरजाबाई जोजे अमोलसिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.350	0.010	
2	मलखानसीग पिता मरदन बगैरह बशरह नं. 5	भूमि स्वामी	36	0.240	0.140	
3	महेन्द्र पिता गुलाब पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.110	0.110	

4	राजूसींग पिता गोविन्द्र सींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43	1.210	1.210	
5	राजेन्द्र सिह नारायणसिंह पिस. भीकमसिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.560	0.550	
			51	0.730	0.010	
6	प्रतापसिंह वल्द मलखानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	0.350	0.010	
7	प्रहलादसींग पिता मलखानसिह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/2	0.400	0.010	
8	बलराम पिता नन्नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/1	0.310	0.310	
			227/1	0.350	0.350	
9	लक्ष्मीनारायण पिता नंनाई यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226/2	0.310	0.310	
			227/2	0.350	0.350	
10	रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा देह भूमि	भूमि स्वामी	332	0.080	0.080	
11	उत्तमसींग पिता उद्वेतसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	335	0.500	0.010	
12	चंदनसींग पिता अरजनसींग पता सा पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	336	0.230	0.110	
	कुल :–		15	6.080	3.570	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन मे प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करगें एवं [illegible] के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात. क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 22-अ-82-20-21-भू-अर्जन-5346 सागर, दिनांक 18 अगस्त 2020

मौजा पिडरूआ प.ह.नं. 07 तहसील बण्डा

::प्रारंभिक अधिसूचना::

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बीजरी सागोनी जलाशय योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा योजना के निर्माण से ग्राम बीजरी, सागोनी, पिडरूआ की लगभग 220 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं योजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त योजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:–

(1) परियोजना का नाम : बीजरी सागोनी जलाशय योजना, बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु

(2) भूमि का विवरण :

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : पिडरूआ
4. पट. ह.नं. : 07
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.294 हे.

::अनुसूची::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टयर में)	अर्जित रकवा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5	6
1	नाथूराम पिता हल्कू यादव	भूमि स्वामी	209	0.100	0.100
2	सुम्मेर पिता बसोरे	भूमि स्वामी	137	0.600	0.031
3	नाथूराम उर्फ छोटे पिता हल्कू यादव	भूमि स्वामी	139	0.600	0.545
4	नाथूराम उर्फ छोटे पिता हल्कू यादव	भूमि स्वामी	140	0.610	0.516
5	राजपाल कृष्णपाल नेकपाल पिता रूपसींग सुशीला भागवती पुत्री रूपसींग राजबाई बेवा रूपसींग	भूमि स्वामी	141	1.190	1.100
6	घूमन वीरसींग भगवानसींग परवतसींग पिस. ललू	भूमि स्वामी	142	1.020	0.002
	TOTAL		**6**	**4.120**	**2.294**

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के

लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(8)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी बण्डा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. दस-भू-अर्जन-19-अ-82-2017-18-3732 शहडोल, दिनांक 28 जुलाई 2020

हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम गिरूईबड़ी, क्षेत्रफल 18.189 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।

:: अनुसूची ::

क्रमांक	पत्र क्रमांक/दिनाक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	दस/भू–अर्जन/फा. 19/अ 82/2017 –18/987/शहडोल, दिनांक 11.2.2019	गिरूईबड़ी	जयसिंहनगर	18.189

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा–19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू–अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय–सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. दस-भू-अर्जन-20-अ-82-2017-18-3733

हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम देवरी, क्षेत्रफल 2.824 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।

:: अनुसूची ::

क्रमांक	पत्र क्रमांक/दिनाक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	दस/भू–अर्जन/फा. 20/अ–82/2017 –18/983/शहडोल, दिनांक 11.2.2019	देवरी	जयसिंहनगर	2.824

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा–19 के तहत, अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू–अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय–सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. दस-भू-अर्जन-18-अ-82-2017-18-3734

हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम टेंगरहा, क्षेत्रफल 1.888 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।

:: अनुसूची ::

क्रमांक	पत्र क्रमांक/दिनाक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	दस/भू–अर्जन/फा. 18/अ–82/2017 –18/986/शहडोल, दिनांक 11.2.2019	टेंगरहा	जयसिंहनगर	1.888

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा–19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू–अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय–सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. दस-भू-अर्जन-17-अ-82-2017-18-3735

हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम मढ़ा, क्षेत्रफल 59.506 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।

:: अनुसूची ::

कमांक	पत्र कमांक/दिनाक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	दस/भू–अर्जन/फा.17/अ–82/2017 –18/982/शहडोल, दिनांक 11.2.2019	मढ़ा	जयसिंहनगर	59.506.

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा–19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू–अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय–सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. दस-भू-अर्जन-22-अ-82-2017-18-3736

हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम खफकौहा, क्षेत्रफल 0.060 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।

:: अनुसूची ::

क्रमांक	पत्र क्रमांक/दिनाक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	दस/भू–अर्जन/फा. 22/अ–82/2017 –18/984/शहडोल, दिनांक 11.2.2019	खफकौहा	जयसिंहनगर	0.060

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा–19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू–अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय–सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

क्र. दस-भू-अर्जन-23-अ-82-2017-18-3737

हलफल नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु जिला शहडोल, तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत ग्राम पहडिया, क्षेत्रफल 0.518 हेक्टर भूमियो के अर्जन हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 01.03.2020 में प्रकाशित कराई गई थी, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया था ।

:: अनुसूची ::

कमांक	पत्र क्रमांक/दिनाक	अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि		
		ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4	5
1	दस/भू–अर्जन/फा.23/अ–82/2017 –18/985/शहडोल, दिनांक 11.2.2019	पहडिया	जयसिंहनगर	0.518

उक्त अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के दौरान अधिकारी के पास कार्य की अधिकता/व्यस्तता होने एवं आवागमन अवरूध्द होने के कारण भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है । धारा–19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू–अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय–सीमा दिनांक 01.03.2020 को व्यपगत हो गई है, चूकि इस योजना से 995.000 हेक्टर भूमि में सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी साथ ही जरूरत मंदों के दूरगामी हितो से सम्बध्द है । भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 70-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2020-7002 मुरैना, दिनांक 5 अगस्त 2020

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम– **डोंगरपुरमानगढ**, तहसील– कैलारस, उपखण्ड– सवलगढ़, जिला–मुरैना में कुल रकवा **0.643** एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला– मुरैना, तहसील–कैलारस के ग्राम– **डोंगरपुरमानगढ**,, प.ह.नं. 43 रा.नि. वृत–02 में उक्त परियोजना के लिये **0.643** हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	52/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.103	अनिलकुमार पुत्र रामकृपाल आकाश नाबा पुत्र रामदिनेश सर. रामदिनेश पुत्र जीवनलाल जाति राठोर नि कुकरोली हमीरपुरा तह जौरा हि 900 वर्गफुट समान रामसिंह पुत्र श्यामलाल हि 9154 वर्गफुट सोनेराम जगदीश रामेश्वर गोरीशंकर पुत्रगण रामदयाल जाति तेली नि. सिमरोदा हि 900 वर्गफुट प्रीती पत्नी रामकुमार जाति ब्रा नि हुसेनपुर हि 880 वर्गफुट
2	52/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लक्ष्मीनारायण पुत्र भगवानलाल हि0 1156 बर्गफुट मातागिरि बिबेक गिरि पुत्रगण घनश्यामगिरि नाबा0 सरप0 पिता खुद हि0 1090 बर्गफुट जाति गुसाई नि0 कुर्रोली रामकेश पुत्र रामनिवास राठौर नई कुकरोली हि 900 बर्गफुट अनिलकुमार पुत्र रामदयाल ब्रा0 हि0 2255 बर्गफुट नि0 कैलारस सतीश पुत्र रामदयाल हि0 1648 बर्गफुट रामविलास पुत्र घमन्डीराम जाति तेली नि0 इटोरा हि0 1125 बर्गफुट तहसील केलारस जि मुरैना अमरसिह पुत्र मुल्लाराम जाति गोड नि ग्राम हि 968 वर्गफुट कीनू पुत्र सियाराम हि 300 वर्गफुट जाति तेली नि हुसेनपुर सूरजगिरि पुत्र मदनगिरि गोस्वामी हि 900 वर्ग सुनीता पत्नी भूरा जाति ठाकुर नि ग्राम हि 675 वर्ग.

3	52/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीनिवास पुत्र रामचरनलाल हि0 1292/22500 जाति ब्रा0 नि0 सुजानगढी रामसिंह पुत्र श्यामलाल हि0 9485/22500 जाति राठोर, बन्टी पुत्र भगवानसिंह हि0 900/22500 जाति राठोर नि0 छडेह, सुनीलकुमार पुत्र मुन्नालाल बंसल जाति बैष्य नि0 कैलारस हि0 6318/22500, प्रेमसिंह पुत्र कम्मोदसिंह हि0 1130/22500 जाति राठोर नि0 बिलौआ, प्रकाशी पत्नी सियाराम हि0 2025/22500 नि0 काठोन बिजयपुर जाति रजक लक्ष्मन पुत्र भगरी जाति धोवी नि0 ग्राम हि0 675 बर्गफुट,कन्हैयालाल पुत्र शिवचरन धाकड नि0 ग्राम हि0 675/22500 बर्गफुट
4	53	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.086	रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति बैश्य हि0 3267 बर्गफुट नि0 कैलारस, रामस्वरूप पुत्र पुन्नाराम हि0 1665 बर्गफुट जाति नाई नि0 चमरगबा, जगदीशप्रसाद मुन्नालाल रामचरन पुत्रगण लालाराम हि 8160 वर्गफुट जाति गौड उर्मिलादेबी पत्नी राममूर्ति हि 750 वर्गफुट रजक नि ग्राम शिवकुमार बिबेक कुमार पुत्रगण श्रीनिवास हि 5806 वर्गफुट जाति ब्रा मीरादेवी पत्नी बीरबल नि चमरगवा मध्यप्रदेश चन्द्रशेखर ऋषिकेश पुत्रगण बृन्दावनलाल जाति ब्रा नि पेडा तह जौरा हि 900 वर्गफुट समान रामसिंह पुत्र श्यामलाल जाति राठोर नि ग्राम हि 2180 वर्गफुट अच्छो पत्नी जबरसिंह जाति ठाकुर नि बर्रेड तह जौरा हि 900 वर्गफुट शोभा पत्नि श्रीपाल गुडडी पत्नी रामलाल रूमा पत्नि सोवरन जाति रजक नि खोह गुलालई तह सवलगढ हि 1000 वर्गफुट लखचन्द पुत्र जीवनलाल जाति प्रजापति नि ग्राम हि 750 वर्गफुट सुन्ती पत्नि लखचन्द जाति प्रजापति नि ग्राम हि 665 वर्गफुट निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
5	56	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.081	कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप हि 2875 वर्गफुट जाति वैष्य नि कैलारस रामदयाल पुत्र गन्नू जाति गौढ नि मालीवाजना हि 1250 वर्गफीट हरीराम पुत्र देबीराम जाति कुम्हार नि बधपुरा तह जौरा हि 1700 वर्गफुट माखनलाल पुत्र देबीलाल जाति कुम्हार निवासी बधपुरा तह जौरा हि 900 वर्गफुट नरोत्तम देबेन्द्र पि रामेश्वर दयाल हि 1868 वर्गफुट शोभाराम पुत्र देबीलाल जाति

					कुम्हार नि बधपुरा तह जौरा हि 1700 वर्गफुट माखनलाल पुत्र देबीलाल जाति कुम्हार नि बधपुरा तह जौरा हि 900 वर्गफुट नरोत्तम देवेन्द्र पिता रामेश्वरदयाल हि. 1868 वर्ग. निवासी ग्राम कैलारस मध्य प्रदेश प्रकाश रामदीन छबिराम सोबरन पुत्रगण काशीराम हि 14500 वर्गफुट समान जाति कुम्हार नि ग्राम महादेवी पत्नी राधेश्याम मनीशा पत्नी देबबृत जाति गौड रमेशचन्द पुत्र रामचरन जाति कुम्हार नि ग्राम हि 1000 वर्गफुट कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप जाति वेश्य निवासी कैलारस हि 358 वर्गफुट सनेही पत्नि भगवानसिंह जाति कुशवाह नि लाभकरन हि निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
6	60	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	बाबूलाल पुत्र मोतीराम हि 26082 वर्गफुट श्रीमति हीरो पत्नी मानसिंह हि 600 वर्गफुट जाति कोली रामप्रकाष भगवानसिंह रामरूप विजयसिंह पुत्रगण बाबूलाल हि 30681 समानभाग मेरसिंह गयाल।ल पुत्रगण रातनलाल धाकड नि गस्तोली हि 4000 वर्गफुट समान भाग निवसी मध्य प्रदेष।
7	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.04	रामस्वरूप दतक पुत्र खुमान हि 1/4 केदारसिंह नारायण वनवारी आ हीरालाल स.भा. 3/4 निवासी ग्राम
8	65	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	रामस्वरूप नारायणसिंह केदार सिंह बनवारीलाल पुत्रगण हीरालाल नि ग्राम मध्यप्रदेष
9	66/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	रामचरनलाल पुत्र सुखचद गांव डोगरपुरमानगढ तह कैलारस जि मुरैना हि. 267/340 विश्राम पुत्र रामजीलाल शर्मा हि. 5/68 नीरज पुत्र राजेश शर्मा हि. 3/68 पवन पुत्र राधाशरण दांतरे हि. 3/85 रामभजन पुत्र रामस्वरूप हि. 21/340
10	67	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	मातादीन पुत्र मुरारी लाल 5781 वर्गफीट जाति वैश्य बालस्टर पुत्र रामदयाल हि 1000 वर्गफुट ब्रा निवासी मोहनपुर लाखन सियाराम करनसिह पुत्रगण परिमाल हि 1500 वर्गफिट जाति कोली निवासी केलारस महादेबी पत्नी चैउ पुत्र गुमानी हिस्सा 750 वर्ग बाढई नि ग्राम नन्दकिशोर जगदीश प्रसाद नाबा पुत्रगण लक्ष्मीनारायण सर पिता हि 1000 वर्ग वैश्य नि कैलारस मुरारीलाल पुत्र लालकिसुन हि 1750 वर्गफुट नि कैलारस आकाश नाबा पुत्र

					सुरेन्द्रचन्द सर पिता खुद हि 1000 वर्ग जाति खटीक नि कैलारस रमेश पुत्र हरिमोहन हि 750 वर्ग गौड माधौ पुत्र भोजू हि 750 वर्गफीट कुम्हार नि सगोरिया माया पत्नी हटीला हि 1250 वर्ग जाति कुशवाह मनोज कुमार हरिओम संजय पुत्रगण भीकाराम निवासी कोटसिरथरा मध्यप्रदेश बीरेन्द्रकुमार पुत्र रामगोबिन्द हि 9000 वर्ग ब्रा नि कोटसिरथरा रामजीलाल पुत्र सुखचन्द सन्तोषकुमार पुत्र रामचरनलाल हि 1200 वर्ग वैश्य नि आतरी श्रीमति पिंकी पत्नी रामलखन जाति गोयल हि 750 वर्गफुट वेश्य नि कैलारस श्रीमति रेखा पत्नी मंगलसिंह हि 1/2जाति गुर्जर नि उदयपुरा ममता पत्नी दिनेश जनदेबी पत्नी दिनेशचन्द हि 1/2 दर हि 3000 वर्ग. जाति राठोर नि पहाडगढ श्रीमति रेनू तिवारी पत्नी भूपेश नि ग्राम मध्यप्रदेश भूरी पत्नी मनोजकुमार जाति ब्रा नि कोटसिरथरा हि 625 वर्गफुट रेखा पत्नी अशोक जाति ब्राहमणनि ब्रहमवाजना हि 750 वर्गफुट रामस्वरूप पुत्र चिम्मन जाति ब्रा नि कोटरा तह जौरा 675 वर्ग. बनवारीलाल पुत्र रामानन्द जाति ब्रा निवासी खिडोरा तहसील जौरा 750 वर्ग चिरोजीलाल बृन्दावन दशरथ पुत्रगण दुर्गाप्रसाद रामहेती वेवा दुर्गाप्रसाद गोड निग्रा हि 750 वर्गफुट मन्जू पत्नी सुल्तानसिंह ठाकुर नि पचेखा हि 1000 वर्ग रामस्वरूप पुत्र जींगनलाल जाति धाकड नि कुर्रोली हि 1200 वर्गफुट उमा पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 1050 वर्गफुट वनवारीलाल पु. मुरारीलाल हि 20100 वर्गफुट जाति वैष्य रामलखन पुत्र गब्बूराम हि 15/25 जाति धाकड नि लाभकरन रामचरन पुत्र तेजसिंह हि 1000 वर्ग किरार नि हटीपुरा रामकटोरी पत्नी मुरारीलाल हि 2426 वर्ग मध्यप्रदेश श्रीमति महादेबी तिवारी पत्नी राजेश तिवारी हि 990 वर्ग. जाति ब्रा नि ग्राम प्रेमवती पत्नी रघुवीरसिंह हि 1250 वर्ग जाति कुशवाह नि बिलगांव क्वारी दिनेश भरतलाल शर्मा पुत्रगण रामभरोशी शर्मा हि 1800 वर्गफुट नि कोटरा तह जौर श्रीमति कौशिल्या देवी पत्नी रामस्वरूप शर्मा हि 825 वर्ग ब्रा नि ग्राम मंगलसिंह पुत्र बंशीसिह जाति गुर्जर

					हि 1000 वर्ग. नि ग्राम अतरसिंह पुत्र बन्शीसिंह हि 688 वर्ग जाति गुर्जर ठा नि उदयपुरा भूरी पत्नी मनोजकुमार जाति ब्रा नि कोटसिरथरा हि 625 वर्ग. रेखा पत्नी अशोक जाति ब्राहमण नि ब्रहमवाजना हि 750 वर्गफुट
11	80	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	नथमल पुत्र लक्ष्मीनारायण हि 5062 वर्ग जाति वैस्य नि सवलगढ रामस्वरूप पत्र गयाराम हि 117 वर्ग छविराम पुत्र गयाराम हि 787 वर्गफुट जाति जाटव रामदीन प्यारे पुत्रगण गनेषराम हि 750 वर्गफुट गादीपाल पुत्र ओछा जाटव हि 375 वर्ग मावसिया राजाराम पुत्रगण भुल्लन 750 वर्ग रामदयाल दाताराम केदारलाल पुत्रगण मंगलिया हि 375 वर्गफुट जाटव रामकटोरी पत्नी शिवनारायण हि 750 वर्गफुट करनसिंह पुत्र नत्थुराम धाकड रामनरेश पुत्र शिवचरन त्यागी हि 1618 वर्गफुट सुरेश पुत्र मावसियाराम जाटव नि 750 वर्गफुट नि ग्राम रेशमबाई पत्नी अमरसिंह हि 212 वर्ग लोहापीटा नि कैलारस राकेश कम्मोदसिंह अशोकसिंह मलखानसिंह पुत्रगण धर्मसिंह रामहेती पत्नी रामचरनलाल जाटव नि कैलारस हि 750 वर्गफुट रविन्द्र पुत्र संतोशीलाल जाति वैश्य नि कैलारस हि 809 वर्गफुट अनिल पुत्र रामरतन जाति त्यागी नि दिपेरा हि 750 वर्गफुट करनसिंह पुत्र नाथूराम हि 59 वर्गफुट निवासी ग्राम नरेन्द्रसिंह पुत्र दौजीराम जाति जाटव निवासी छोले का पुरा तहसील जौरा हि 500 वर्गफुट जाति जाटव नि ग्राम श्रीमति मीरा पत्नी रामगोपाल हि 300 वर्गफुट जाति जाटव नि मद्वीपुरा तह जौरा मायादेबी पत्नी राजाराम हि 1250 वर्ग f शिवकुमारसिंह पुत्र पुनीतसिंह जादोन हि 1605 वर्गफुट जाति ठा0 विलगावं क्वारी मनीष पुत्र मुन्नालाल हि 2861 वर्गफुट जाति ब्रा.
12	81	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	मुन्नालाल पुत्र लालाराम हि 1100 वर्गफुट जाति खटिक नि ग्राम शीलादेबी पत्नी रामस्वरूप हि 7.50 वर्गफुट जाटव नि मद्वीपुरा रेशमबाई पत्नी अमरसिंह हि 212 व लोहापीटा नि कैलारस राकेशसिंह कम्मोद सिंह अशोकसिंह मलिखानसिंह पुत्रगण धर्मसिंह जाति ठाकुर हि 1250 वर्गफुट नि

					बिलगांवक्वारी मनीश पुत्र मुन्नालाल नि सबलगढ़ अनिल पुत्र रामरतन जाति त्यागी नि दिपैरा हि 375 वर्गफुट अमरति पत्नी लक्ष्मण जाति जाटव नि कुरोली हि 1100 वर्गफुट नथमल पु. लक्ष्मीनारायण जा वैश्य सबलगढ 2250 वर्ग जाति वैश्य नि सबलगढ शिवचरन पुत्र गयाराम 913 व जाटव गादीपाल पुत्र ओछा जाति जाटव नि ग्राम हि 375 मावसिया राजाराम पुत्रगण भुल्लन हि 750 वर्गफुट रामदयाल दाताराम केदारलाल पुत्रगण मंगलिया हि 125 वर्गफुट जाति जाटव रविन्द्र पुत्र संतोषीलाल जाति वैश्य नि कैलारस हि 375 वर्गफुट।
13	83	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	छोटीबाई वेवा बद्रीप्रसाद रमेश सुरेश शिवननारायण श्री निवास द्वारिका महेश पुत्रगण बद्रीप्रसाद जनक श्री किरन उर्फ गुडडी पुत्रिया बद्रीप्रसाद हि 1/9 समान मथुरा पुत्री झीगुरिया हि 1/9 ब्रा नि ग्राम राजाराम पुत्र चुन्नाराम ब्रा हि 1/3 नि चमरगवा श्रीमति गीता पत्नी रामस्वरूप हि 1000 वर्गफुट त्यागी नि जेतपुर नि ग्राम देबीलाल शंकर रामदयाल पुत्रगण बिहारी बसन्ती पुत्री बिहारी हि1058 वर्ग जा धाकड योगेश शर्मा पुत्र पतिराम शर्मा हि 900 वर्ग ब्रा नि चिन्नोनी चम्बल गोपीबाई पत्नी दशरथ हि 1000 वर्ग ब्रा नि ग्राम छोटेलाल पुत्र अमरलाल बैरागी 900 वर्गफुट राजू पुत्र महेश जाति गौढ निवासी गुजरना हि 1000 वर्गफुट कन्याकुमारी पत्नी सुवोधकुमार जाति ब्रा निवासी बाल्हेरा जागीर हि 1100 वर्गफुट कमला पत्नी मुन्नालाल उर्फ रामदीन जाति ब्रा नि गुजरना हि 1000 वर्गफुट काषी पुत्री झीगुरिया हि 963 वर्गफुट रामबीर पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा हि 675 वर्गफुट सतीश पुत्र शिवनारायण हि 675 वर्गफुट जाति ब्रा नि सुजानगढी तह जौरा राघवेन्द्र पुत्र शिवनारायण हिस्सा 675 वर्ग. जाति ब्रा. सोनू पुत्र बनवारीलाल ब्रा निवासी सुजानगढी तह जौरा हि 900 वर्गफुट निवासी ग्राम।
14	84	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	देवीलाल शंकर रामदयाल पुत्रगण बिहारी शंकर पुत्र बिहारी हि 9575 वर्गफुट जाति किरार नि ग्राम ममता पत्नी अनिल कुमार

					गोयनर उर्मिला पत्नी गोपाल हि 900 वर्ग ब्रा निवसी डोगरपुर गंगादेबी पत्नी बाबू सिंह जाति ठाकूर नि तिन्दोखर तह जौरा पता निवासी कैलारस हि 1000 वर्गफूट भूमिस्वामी अतरसिंह पुत्र बंशी सिंह जाति गुर्जर नि उदयपुरा तह जौरा हि 170 वर्गफुट विष्णु पुत्र मुरारी लाल जाति वैश्य नि कैलारस हि 900 वर्गफुट रवीन्द्र कुमार पुत्र लज्जाराम जाति ब्रा नि चमरगाव हि 1000 वर्गफुट कलावती पत्नी रमेशचन्द्र जाति ब्राहमण नि लाभकरन हि 1000 वर्गफुट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी चन्द्रषेखर पुत्र बृन्दावन लाल जाति ब्रा नि पेडा हि 694 वर्गफुट श्री राम पुत्र हरदेव जाति ब्राहमण निवासी ग्राम हि 1306 वर्गफुट सुनीता पत्नी धर्मेन्द्र जाति दर्जी निवासी केलारस हि 1000 वर्गफुट नीलम पत्नी महेन्द्र जाति नाई हि 1000 वर्गफुट उशा पत्नी रामभरोषी रामप्यारी पत्नी बदनसिंह जाति धाकड नि कलुआपुरा हि 1000 वर्गफुट अंसो पत्नी विकम सिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 750 वर्गफुट शकुन्तला पत्नी छोटेलाल जाति ब्रा निवासी ब्रहम्वाजना हि 1500 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी प्रेमलता पत्नी रघुवीर जाति ब्रा नि ग्राम हि 900 वर्गफुट राहुल पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रा नि चिन्नोनी चम्बल हि 900 वर्गफुट शिवसिंह पुत्र गजराज सिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 2000वर्गफुट राजेश्वरी पत्नी रामसेवक जाति ब्रा नि कैलारस हि 900 वर्गफुट शशिकान्त पुत्र रामलखन जाति ब्रा नि मंजीतपुरा हि 1000 वर्गफुट उर्मिला पत्नी रमेशचन्द्र जाति बा नि जखोदा ब्रजेशकुमार पुत्र रामकुमार जाति ब्रा नि ग्राम मन्जीतपुरा हि 1000 वर्गफुट भूमिस्वामी प्रदीपकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा नि ग्राम मन्जीतपुरा हि 1000 वर्गफुट मुनेशकुमार संतकुमार पुत्र रामकुमार जाति ब्रा नि ग्राम मजीतपुरा हि 1000 वर्गफुट नि मंजितपुरा केदारलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा नि ग्राम मजीतपुरा हि 1000 वर्गफुट सुरेन्द्र पुत्र भास्कर प्रसाद अध्यक्ष राधेश्याम पुत्र रामभजन पता सचिव नि केशव माधव शिक्षा प्रसार समिती सबलगढ हि 10/54 भाग भूमिस्वामी कमलादेवी पत्नी रमेशचन्द्र

					जाति ब्रा निवासी नयागांव मानगढ हि 1000 वर्गफुट मुरारी लाल पुत्र रामचन्द्र जाति वैश्य नि ग्राम हि 8205 वर्गफुट दिनेश सिंह पुत्र मेहताब सिह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 1000 वर्गफुट ऋषिकेष पुत्र रघुनाथ जाति ब्रा नि रीझौनी हि 1000 वर्गफुट भूपेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह जाति ठाकुर नि भर्रा हि 1000 वर्गफुट कौशल्यादेवी पत्नी श्रीनिवास जाति ब्रा नि माधौगढ हि 900 वर्गफुट रामजीलाल पुत्र गंगाराम जाति ब्रा. हिस्सा 900 वर्ग. श्रीमति पत्नी बालमुकुन्द जाति धाकड नि कलुआपुरा तह जौरा हि 1000 वर्गफुट गुडडी पत्नी बीरेन्द्रकुमार जाति ब्रा नि हि 1000 वर्गफुट रविकान्त पुत्र रामनिवास सोनूदेवी पत्नी रविकान्त जाति ब्रा निवासी कैलारस हि 1000 वर्गफुट भूमिस्वामी भू–राजस्व 6.31
15	59	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	भन्ती वेवा जनवेद 1/4 मु पार्वती बेबा काशीराम प्रकाश रामदीन छविराम सोवरन पुत्रगण काशीराम उर्मिला पुत्री काशीराम हि 1/4 कंचनिया राधा पुत्रिया लौडू हि 1/2 शासकीय पटटेदार
कुल 15 सर्वे नं0 में				0.643	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विषेषः– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 71-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-7003

{भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम– **कैलारस,** तहसील– कैलारस, उपखण्ड– सवलगढ़, जिला–मुरैना में कुल **किता 05 रकवा 0.204** एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला– मुरैना, तहसील–कैलारस के ग्राम– **कैलारस,** प.ह.न 42 रा.नि. वृत–02 में उक्त परियोजना के लिये **0.204** हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	143/1/1/1/60	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	सुमित पुत्र रामबाबू जाति वैश्य हि 1/3 निवासी आतरी दिनेश पुत्र चिरोंजी लाल जाति वैश्य निवासी आंतरी हि 1/3 पवन पुत्र चिरौजीलाल जाति वैश्य निवासी आतरी हि 1/3 भूमिस्वामी।
2	143/1/1/1/8	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सुमित पुत्र रामबाबू जाति वैश्य हि 1/3 निवासी आतरी दिनेश पुत्र चिरोंजी लाल जाति वैय निवासी आंतरी हि 1/3 पवन पुत्र चिरौजीलाल जाति वैश्य निवासी आतरी हि 1/3 भूमिस्वामी।
3	146	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	गनपती पुत्र मुरलीधर हि0 31526/59625 जाटव श्यामलाल पुत्र खुमान जाति मेहतर हि0 352/59625 मुंशी पुत्र बिहारी हि0 900/59625 जाति कोली रामचरण पुत्र नेहनेराम जाति कोरी हि0 600/59625 प्रेमलता पत्नी रामबिलास जाति जाटव हि0 1000/59625 रोशनलाल पुत्र भगवानलाल जाति बैश्य हि0 330/59625 छोटा पुत्र आशा हि0 880/59625 जाति कोली सुनील अनूप सोनू नावा पुत्रगण नरेश कुमार जाति नट 600/59625 रामप्रकाश रमेशचन्द पुत्रगण सुखराम जाति कोरी हि0 200/59625 तेजसिंह पुत्र सुखा जाति कडेरा हि0 600/59625 बर्गफीट लालजीत पतिराम पुत्रगण देवचन्द जाति कोरी हि0

					3600/59625 बर्गफीट रामस्वरूप रमेश रामनारायण हरिशंकर पुत्रगण ग्यासिया पानाबाई बेवा ग्यासिया हि0 1750 बर्गफीट जाति कडेरा नि0 ग्राम चिरमोली पुत्र हरीकिशन हि0 1800/59625 बर्गफीट जाति जाटव सुखुआ पुत्र गंगाराम कडेरा हि0 800/59625 बर्गफीट केवलियाराम पुत्र नेहनूराम जाति जाटव हि0 523/59625 बर्गफीट सरदार वेग बसीर बेग पुत्रान
					चुन्नी बेग हि 1500/59625 वर्गफीट लालपति दर्शनलाल पुत्रान सुंदरलाल 800/59625 मांगीलाल पुत्र खेमचन्द जाति कोली हि 750/59625 गनेशीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति कोरी हि0 750/59625 कलावती पत्नी रामचरनलाल जाति जाटव हि 600/59625 गेंदालाल पुत्र नेहनेराम जाति खटिक हि 750/59625 रामप्यारी पत्नी गेदालाल जाति खटिक हि 750/59625 रामबाबू पुत्र भागचंद जाति कोरी हि 250/59625 आशिकस्या पुत्र नजीरस्या गुडडी पत्नी आशिकस्या जाति मुसलमान हि 600/59625 लालजीत पुत्र देवचंद जाति कोरी हि 594/59625 वैकुण्ठीबाई वेवा रघुवर जाति जाटव हिस्सा 500/59625 वेदरिया पुत्र देवीलाल जाति जाटव 500/59625 छोटेलाल पुत्र भागचंद जाति कोरी हि 800/59625 मिथलेा पत्नी ओमप्रकाश जाति नाई हि 270/59625 सुखुआ पुत्र सुगरू जाति जाटव हि 1220/59625 नूरखों पुत्र बल्लू खां 800/59625 ओमप्रकाश पुत्र विश्राम जाति नाई हि 250/59625 जगदीश अमरसिंह केदार पुत्रान रामचरन जाति जाटव हि 800/59625 सुरेश दिनेश पुत्रान सरवनलाल जति कोरी हि 333/59625 आकाश पुत्र सरस्वती शारदा पुत्री सरस्वती हि 167/59625 छत्रपाल पुत्र रामनिवास जाति सुनार हि 400/59625 हाकिम पुत्र चनवारी जाति खटीक हि 600/59625 गब्बरसिंह पुत्र हलूकेराम सुनीता देवी पत्नी गब्बर जाति जाटव हि 180/59625 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4	1067/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.085	दुली चन्द पुत्र सुखुआ हि0 21320 जाति मोची गिर्राज पुत्र तुलाराम हि 640 जाति सिकलीगर लक्ष्मी पत्नी कप्तान हि 250 जाति ठाकुर निवासी ब्रहमबाजना किशनकुमार पुत्र बाबूलाल हि0 3000 बर्गफीट बैश्य रामसिंह पुत्र मोती हि0 1500 बर्गफीट रामभजन फैरन सूरेश पुत्रगण परमसुख हि0 600 बर्गफीट समान मोती पुत्र श्रीया हि 1/6 भगवानलाल धनीराम करनसिंह पुत्रगण रामकिसुन हि.1/6समान मु.रामकली बेबा लोकमनि बदनसिंह बा0 रामनरेश नाबा0 पुत्रगण लोकमनी ममता बा सुरक्षा नाबा पुत्री लोकमनी सर. मां खुद निवासी ग्राम बिलगांव क्वारी शिवचंद. विसराम. पुत्रगण सामलिया हि0 1/6 रामभजन पुत्र परसुख फेरन सुरेश पुत्रगण परमसुख हि0 1/6 समान हि0 750 बर्गफीट जाति काछी रमेश पुत्र लोडू हि0 450 बर्गफीट भगवानलाल धनीराम करनसिंह पुत्रगण रामकिशून हि0 625 बर्गफीट शिवचन्द विसराम पुत्रगण सामलिया हि0 650 सुनीता पत्नी राजाराम नृपति पुत्र श्यामलाल हि0 1205 बर्गफीट जाति कोली सुमित्रा पत्नी बिकमसिंह हि0 1400 जाति ठाकुर गोरेलाल पुत्र लालाराम हि. 346 जाति खटीक नि. ठाठीपुरा सरवदी पत्नी मुरारीलाल जाति राठोर निवासी ग्राम पहाडगढ हिस्सा 694 रामअवतार पुत्र बूटाराम हि. 750 सुनीता पत्नी देवेन्द्र हि. 900 जाति खटीक नि.ग्राम श्यामलता पत्नी रामभजन हि.1000 जाति शिवहरे अतरसिंह पुत्र शिवनाथ सिंह हि. 750 जा.ठा.नि. बडागॉव शान्तीदेबी पत्नी आशाराम हि. 1040 जाति ब्रा. नि. नागावनी, खरगाराम पुत्र झीगुरियाराम जाति बघेले हि.1500 नि. खेडाकला जनकदुलारी पत्नी अतरसिंह हि. 900 सावित्री पत्नी अतरसिंह हि 900 जाति ठाकुर नि बडागाव सोनू पुत्र सहदेव सिह जाति ठा निवासी कबीर मार्ग धर्मेन्द्र ाविराज सिंह जाति ठा निवासी बजरंग मार्ग कैलारस हि 1025 वर्गफीट समान भाग
5	1068	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	फूला राशेन पुत्रगण रज्जू हि0 825/36000 समान जनवेद पुत्र मलूकराम हि0 50/36000 जाति राठौर रामश्री बेवा लफूरी

					वासुदेव बनवारी मुरारी पुत्रगण लफूरी जाति खटीक नि0 जेरना मानगड हि0 10/36000 समान श्रीनिवास पुत्र भगवानलाल हि0 40/36000 जाति राठौर रामनिवास पूरन पिता जगनू बसन्ती सन्तो पिता जगनू हि0 471 बर्गफीट जाति धोबी गुलाब पुत्र देवीराम हि0 188 बर्गफीट नबलसिंह पुत्र हरीविलास हि0 1426 बर्गफीट खचेरा पुत्र नेहने हि0 146 बर्गफीट भगवानलाल पुत्र लल्लू मुन्नालाल पुत्र लालाराम हि0 1484/36000 कमलसिंह पुत्र गुलाबसिंह हि0 800/36000 राठौर नि0 टीकतगढी श्रीकुष्ण पुत्र अंगदराम हि0 800/36000 बाबूलाल पुत्र रामहंस हि 1835/36000 किसुनलाल पुत्र सामलिया 882/36000 खटीक नि ग्राम जवाहर पुत्र रामहंस हि 180/36000 खटीक नि जरेना रामादीन पुत्र मूंगाराम 630/36000 राठौर नि कुर्रोली बासुदेव पुत्र गोकुलप्रसाद हि 800/36000 जाति जगा नि पचेखा गोरेलाल पुत्र लालाराम हि 430/36000 खटीक नि ग्राम श्रीमती सरवदी पत्नी मुरारीलाल हि 860/36000 जाति राठोर नि पहाढगढ रामदयाल पुत्र दाताराम हि 236/36000 जाति कुवाह नि जरेना जगदीश बनवारी शिवदयाल पुत्रगण शकरिया हि 2902/36000 राठोर निवासी जरेना मानगढ श्रीया पुत्र श्यामलाल हि 600/36000 शाक्य नि जलालगढ अतिपाल बा बीरसिंह प्यारेलाल बन्टी नाबा पुत्रगण रोशनलाल सर पिता खुद हि 1035/36000 जाति कुशवाह नि ग्राम भूखन धर्मवीर रामकरन पुत्रगण हरीप्रसाद हि 1050/36000 समान भाग जाति राठोर नि बिलौआ बृजेश बा. गोरे नाबा. पुत्रगण केदार सर मा कस्तूरी हि 900/36000 राठोर नि कुर्रोली बिद्याराम लालसिंह पुत्रगण साधूराम हि 840/36000 राठोर नि कुर्रोली जीवनलाल पुत्र भगवन्त ईश्वरी देवी पत्नी जीवनलाल हि 800/36000 राठोर नि ब्रहमवाजना प्रेमवती पत्नी अमरसिंह हि 742/36000 राठोर नि ब्रहमबाजना पोसाकीलाल पुत्र भगवानलाल हि 600/36000 जाति राठोर नि कुर्रोली

					रामबीर गोपालसिह पुत्रगण अंगदसिंह हि 1125/36000 जाति ठाकुर निवासी पचेखा भगवानलाल पुत्र मोतीराम हि 1484/36000 जाति राठोर बनवारीलाल पुत्र शंकरलाल हि0750/36000 जाति राठोर लालाराम पुत्र कुन्दन हि 1970 जाति राठोर नि ग्राम जगदीश पुत्र बलभद्र श्रीमती गुलावबाई पत्नी जगदीश हि 600 वर्गफीट जगदीश पुत्र शंकर हि. 600 वर्गफुट जाति राठोर नि जयरामपुरा प्रकाश पुत्र मुल्ला हि 81/36000 शिवचरन पुत्र मुल्ला हि 431/36000 रविन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल हि 431/36000 ममता पत्नी महेशसिह हि0 350/36000 जाति तेली रामदयाल पुत्र कुन्दन जाति तेली हि 800/36000 निवासी ग्राम बाकेलाल पुत्र भगवन्त विमला पत्नी बाकेलाल समान भाग हि 800/36000 जाति तेली नि ब्रहमवाजना गुलाब पुत्र कुन्दन जाति तेली हि 1008/36000 निवासी गांवरी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर।
कुल 05 सर्वे नं0 में				**0.204**	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेषः—धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू—अर्जन की अत्यावयकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 29-अ-82-भू-अर्जन-आंतरी-उ.म.रे.-2017-18-7004

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम– आंतरी, तहसील– कैलारस, जिला–मुरैना में कुल रकवा 1.032 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला– मुरैना, तहसील–कैलारस के ग्राम– आंतरी प0ह0नं0– रा0नि0वृत0– में उक्त परियोजना के लिये 1.032 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:–

कस.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	77	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.013	तेजसिंह सोबरन पुत्रान सूखा समान भाग 1000/7875 आदिराम पुत्र फोदी हि. 381/7875 पप्पू पुत्र फोदी हि. 281/7875 भीकम पुत्र जनवेद हि. 163/7875 जमुनादेवी पत्नी सुरेशचंद हि. 900/7875 जाति शाक्य निवासी रामसिंह पुत्र मुरलीधर हि. 1750/7875 जाति कोरी राजेश कुमार पुत्र इच्छाराम हि. 1000/7875 मांगीलाल पुत्र भूरा हि. 900/7875 जाति शाक्य लालपति पुत्र गब्बूराम जाति जाटव हि. 1500/7875 निवासी मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड।
2	78/मि.1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.041	मु.किन्ती वेवा तेजसिंह लालाराम मुंशी परसादी बीधा षम्भू पुत्रगण तेजसिंह सरप किन्ती मां 40/282 समान भाग सन्तोषी पुत्र रतनू निर्मला मीना पुत्रियान रतनू मु. गोविन्दी वेवा रतनू जाति कोरी हि. 15/282 समान भाग गनेशा पुत्र सुखुआ 11/282 भाग राजाराम रामसिंह पुत्रगण छोटियाराम 40/282 समान भाग दुर्जन पुत्र चिम्मन गोविन्दी भागवती पुत्रियां चिम्मन जाति जाटव 119/282 समान भाग रामसिंह पुत्र मुरली नि. ग्राम रामलाल पुत्र चोंखरिया जाति कोरी 36/282 समान भाग
3	78/मि. 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि		रघुवीर पुत्र हटीला हिस्सा 8275/41625 शारदा पुत्री हटीला हिस्सा 11755/41325 रतनी पत्नी बेदरिया हिस्सा 855/41625 जाति जाटव डॉ ज्ञान पुत्र असर्फीलाल हिस्सा 900/41625 लालाराम रामकिशन चोखेलाल पुत्रान नेहनेराम बनवारीलाल

					श्रीनिवास पुत्रान बेदरिया समान भाग हिस्सा 795/41625 जाति कोरी निवासी बर्रेड परिमाल पुत्र चन्टू हिस्सा 450/41625 जाति जाटव नि हीरापुर रामसिंह उर्फ रामस्वरूप पुत्र भग्गूराम हि. 690/41625 पुष्पराज सिंह राहुल नाबा पुत्र गिरवर सरप कुन्जीलाल बाबा खुद समान भाग हि 690/41625जाति जाटव निवासी ग्राम हरीसिंह पुत्र बद्रीप्रसाद हि0 750/41625 जाति जाटव नि मामचौन रामश्रीदेवी पत्नी हरिविलाश हिस्सा 1200/41625जाति जाटव निवासी ग्राम रामनरेश रामप्रीयदास पुत्रान मावसीया हि 1200/41625 जाति कोरी निवासी ग्राम शकुन्तलादेवी पत्नी बंशीलाल हि 900/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम मुन्नीदेवी पत्नी सियाराम जाति जाटव निवासी भिलसैया मध्यप्रदेश परीक्षत पुत्र किशुनलाल जाति जाटव निवासी लाखन पुरा हिस्सा 1800/41625लक्ष्मीदेवी पत्नी रधुवीर हि. 1200/41625जाति जाटव डालचन्द वर्मा पुत्र श्रीपाल वर्मा जाति जाटव हि0675/41625 निवासी अटेर रोड पोरसा हाल निवासी आतरी गिरवर पुत्र भोदूसिंह हिस्सा 705/41625 लखपति पुत्र भौदू हि. 1410/41625 जाति जाटव प्रभाकर सुधाकर आनन्दराव नाबालिग पुत्रान रामजीलाल सरप पिता खुदसमान भाग हि 1380/41625 जाति जाटव निवासी भलिसैया जगन्नाथ पुत्र छोटेलाल हिस्सा 750/41625 महेन्द्रसिंह पुत्र रामदयाल हि 900/41625 जाति जाटव निवासी ग्राम बंशी पुत्र जीवनलाल हि0 600/41625 जाटव निवासी डबेरा तह सबलगढ परिमाल पुत्र चन्दूराम हिस्सा 450/41625जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
4	80	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.133	आवादी/गावठान
5	82	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.171	सरदार पुत्र मरली हि 29900/31500 जाति जाटव अशोक पुत्र कप्तान सिह हि 800/31500 जाति ठा. नि. वर्रेड तहसील जौरा मोहरसिंह पुत्र केदार सिंह हि 800/31500 जाति किरार निआसलपुर वर्रेड
6	83	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.674	रामस्वरूप रतनलाल जाति अहीर हि 1/2 गिर्राज पुत्र हरिविलास उर्फ ल्होरे रामकली पुत्री हरिबिलास उर्फ ल्होरे हि. 1/2 समान भाग
कुल 06 सर्वे नं0				1.032	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेषः–धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू–अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 87–अ–82–17–18–कोंढर–10052 बैतूल, दिनांक 11/13 अगस्त 2020

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम कोंढर तहसील मुलताई स्थिति भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 19.2.2019/20.2.2019 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन, अतिवृष्टि एवं सिंचित/ असिंचित भूमि का निर्धारण नहीं होने के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका। अतः अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (5) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, जिसकी भू–अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढाई जाती है:–

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	कोंढर	8.695	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

3– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 365–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020 रीवा, दिनांक 25 अगस्त 2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	खांच	1.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक–3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में, किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 367-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब गाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पडुहार	3.500 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 369-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	माजन	1.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला-शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 371–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	रिमारी	5.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक–3 देवलोंद, जिला–शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 373-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	पगारकला	2.100 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक–3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 375–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	मिश्रगवां	1.500 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 377–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	बिरसिंहपुर	बहेरा	3.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 379-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	करही खुर्द	3.750 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 381-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	कोटर	10.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 383-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	निमहा	7.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 385–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	चितगढ़	3.600 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 387-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	सेमरी	4.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 389–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिक्रांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	अबेर	9.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 391-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	कोटर	फरहद	1.500 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 393–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराज नगर	बारी कला	0.900 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पंदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 395-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराज नगर	फुटौंधा	3.000 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक–3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 397-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराज नगर	बरा खुर्द	0.950 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक 13 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 399–भू–अर्जन–प्रकाशन–2020

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूँकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा–11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमि का विवरण			लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	धारा–12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम			
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराज नगर	पोइंधा कला	0.500 हे0	कार्यपालन यंत्री, पक्का बॉध संभाग क्रमांक –3 देवलोंद, जिला शहडोल (म0प्र0)	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थिति संम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय–प्रशासक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 275-भू-अर्जन रीवा, दिनांक 22 अगस्त 2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	दुअरा	0.716	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की आर.बी.सी. माइनर नं.2
		योग =	0.716		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 276-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	बहुती	1.215	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 1
		योग =	1.215		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 277-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	खजुरहन	2.283	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की आर.बी.सी. माइनर नं.2
		योग =	2.283		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 278-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	टडहर	0.381	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 1
		योग =	0.381		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 279-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	रहना	0.536	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 1
		योग =	0.536		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 280-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.गे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	नरसिंहपुर	4.383	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब निर्माण
		योग =	4.383		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 281-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	पटेहरी	0.42	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. एल.बी.सी.माइनर नं.2,
		योग =	0.42		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 282-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र (हे.मे.)	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
रीवा	हनुमना	खैरा नं. 3	0.72	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की आर.बी.सी. माइनर नं.2
		योग =	0.72		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

क्रमांक 283-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में युक्त धारा 12 द्वार दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। बमरहा तालाब के नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

।। अनुसूची ।।

भूमि का विवरण जिला			लगभग क्षेत्र	धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	(हेक्टेयर)		
रीवा	हनुमना	चन्देह	2.44	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा तालाब की एल.बी.सी. माइनर नं. 2, एल.बी.सी. सबमाइनर नं. 1
		योग =	**2.44**		

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अपर पुरवा नहर संभाग रीवा एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य अवधि को देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-60-(अ-82) 2019-20-51 **डिण्डौरी, दिनांक 30 जनवरी 2020**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी वि. ख. स्थित भरद्वारा जलाशय के शीर्ष कार्य में प्रभावित ग्राम-अमनी पिपरियामाल, प.ह.नं. 2/4 रा.नि.म. शाहपुर, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अमनी पिपरियामाल	1	रघुनाथ पिता बिरसाय	215/1	0.120	0.02	भरद्वारा जलाशय शीर्ष कार्य.
		योग . .कृषक 01		0.120	0.02	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमिस्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी.

पत्र क्र. भू-अर्जन-61-(अ-82) 2019-20-96 **डिण्डौरी, दिनांक 5 मार्च 2020**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-बरगॉव प. ह. नं. 40 रा. नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बरगाँव	1	लेखराम पिता आत्माराम	1824/1	0.25	0.05	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	राजेश कुमार पिता आत्माराम	1824/2 1825	0.25 0.62	0.02 0.07	
	3	मरतू पिता टीडू	1809/1	0.86	0.10	
	4	समारू पिता टीडू	1809/2	0.86	0.10	
	5	पन्ना, मंहत पिता शिवरतन	645/2	0.48	0.10	
योग :— 5 कृषक				3.32	0.44	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमिस्वामियों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी.

क्र. भू-अर्जन-62-(अ-82) 2019-20-97

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बजाग विकासखण्ड में स्थित नीम टोला डायवर्सन स्क्रीम के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बजाग रैयत, भानपुर, मिडली रैयत, रा.नि.मं. बजाग, तहसील बजाग व जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:—

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
डिण्डौरी	बजाग	बजाग रैयत	कैलाश साहू पिता मिठठी लाल	85/1	0.860	0.560	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	नीमटोला डायवर्सन योजना
			दुबासा बाई पति तिहारी	91	2.660	0.300		
			आशीष कुमार पिता अशोक	92/2	1.400	0.300		
			सुशील कुमार पिता सुम्मन	82/2/1	0.360	0.200		
			जानकी बाई ध.प. दशरथ लाल	86/1	0.890	0.200		
		-	योग	-	6.170	1.560		
		भानपुर	कृष्ण कुमार पिता रामलाल	21	0.650	0.400		
			महेन्द्र कुमार पिता शंभु प्रसाद	22	0.650	0.400		
		-	योग	-	1.300	0.800		
		मिडली रैयत	घासीराम पिता राजा राम	267	1.06	0.40 मकान कच्चा 450 वर्ग फिट		
		-	योग	-	1.06	0.40		
			सकल योग		8.53	2.76		

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमिस्वामी सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी.

क्र. भू-अर्जन-01-(अ-82) 2020-21-126 **डिण्डौरी, दिनांक 29 जून 2020**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पहरूआ माल, रा.नि.मं. रयपुरा, तहसील शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:—

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
डिण्डौरी	शहपुरा	पहरूआ माल	नरबदिया पुत्री नन्हें	3	0.13	0.02	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	मोहरा पहरूआ जलाशय के नहर कार्य
			महिया पुत्री नन्हे सिंह	5	0.24	0.06		
			शरद कमार पिता फूल सिंह	6	0.83	0.08		
			चैती बाई चमरा	24	4.02	0.06		
			पंचाली बाई पति नन्हे सिंह महिया नरबदिया राधा पिता नन्हे सिंह	29	1.42	0.06		
			गुलाब पिता छोटा	30	1.36	0.03		
			चरन पिता वीरसिंह	32/4/1	0.42	0.11		
			करन पिता वीर सिंह	32/4/2	0.41	0.11		
			बसोना पुत्री बैसाखू	49	1.46	0.06		
			बाल सिंह पिता मतौआ	50	0.62	0.04		
			दल सिंह पिता मतौआ	51	0.56	0.09		
			सुख लाल पिता हन्नू	54	0.35	0.03		
			मुन्नी बाई पिता बैसाखू	57	0.76	0.08		
			भरिया लक्षमण पिता नंदा	61	2.3	0.09		
			नरबदिया पुत्री नन्हे	155	0.16	0.04		
			डुमारी पति टिर्रा	158	0.63	0.08		
			शंकर पिता डुगरहा	174	0.28	0.04		
			उजरा बाई पत्नि स्व. मैकू	175	0.29	0.06		
			तितरा पिता सम्मत	223	0.26	0.06		
			पुनिया पत्नि रिंगला हंसू पिता	15/361	0.57	0.08		
			रिंगला					
			मनोहर पिता महासिंह	222/1	3.11	0.46		
			राजेन्द्र पिता प्रेमसिंह	235/1	0.12	0.03		
			छंगो बाई पुत्री बैसाखू	236/1	1.9	0.12		
			सकल योग		22.2	1.89		

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमिस्वामी सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं किये जावेंगे.

क्र. भू-अर्जन-16-(अ-82) 2019-20-166 **डिण्डौरी, दिनांक 6 अगस्त 2020**

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—मोहगांव रैयत, प.ह.नं. 141, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.64 हेक्टेयर.

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकंवा (हे.में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी **निजी भूमि**	मोहगांव रैयत प.ह.नं.141 रा. नि.मं.बम्हनी	663/3	0.4	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			584/1	1.1		
			523/1	0.3		
			654	0.46		
			655	1.62		
			658/1	0.25		
			658/2	0.25		
			658/3	0.25		
			658/4	0.25		
			601	0.22		
			597	0.01		
			655	1.45		
			654	0.46		
			651/1	0.34		
			651/2	0.35		
			651/3	0.35		
			651/4	0.35		
—	**निजी भूमि का योग—**		—	**8.41**	—	—
			664	0.23		
—	**शास. भूमि का योग—**		—	**0.23**	—	—
	कुल योग—			**8.64**		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-17-(अ-82) 2019-20-161

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—उमरिया रैयत, प.ह.नं. 141, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —37.90 हेक्टेयर

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी निजी भूमि	उमरिया रैयत प.ह.नं.141 रा.नि.मं. बम्हनी	411/1	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			411/2	0.10		
			411/3	0.10		
			176	0.33		
			433	1.28		
			194/1	0.10		
			194/2	0.10		
			413/1	2.84		
			115/1	0.82		
			136/1	1.54		
			551	1.13		
			11	1.90		
			555	0.27		
			557	0.23		
			409	0.49		
			408/1	1.59		
			562	0.15		
			424/1	0.53		

			419	1.55		
			422/1	1.67		
			473/1	1.25		
			474/1	0.55		
			475/1	0.57		
			483/1	0.45		
			455	1.50		
			413/1	2.84		
			527	0.55		
			543	0.16		
			544	0.18		
			545	0.24		
			546	0.26		
-	निजी भूमि का योग–		-	25.37	-	-
			1	.0.50		
			20	0.06		
			45	3.63		
			24	0.13		
			46	0.08		
			49	0.02		
			56	0.09		
			77	0.19		
			120	0.05		
			67	2.76		
			84	0.47		
			420	0.37		
			478	0.97		
			458	0.16		
			453	0.26		
			492	0.25		
			493	0.25		
			373	0.58		
			550	1.65		

			565	0.06		
–	शासकीय भूमि का योग–		-	12.53	–	–
–	कुल योग–		-	37.90	–	–

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-18-(अ-82) 2019-20-162 **डिण्डौरी, दिनांक 6 अगस्त 2020**

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—डुगरिया रैयत, प.ह.नं. 129, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.167 हेक्टेयर

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी **निजी भूमि**	डुगरिया रैयत प.ह.नं.129 रा.नि.मं.बम्हनी	349/2	0.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			349/1	0.36		
			349/3	0.37		
			118/3	0.2		
			391	0.66		
			323	0.25		
			486/1	0.99		
			486/3	0.99		
			486/2	0.99		
			345/1	0.003		
			345/2	0.004		
			393/2	0.09		

			393/1	0.09		
			136	1.48		
			389	1.08		
			392	0.34		
			360/1	0.69		
			371	0.72		
			387	0.68		
			390	1.37		
			149	0.19		
			376/3	0.09		
			484	0.65		
–	निजी भूमि का योग–		-	12.647 ✓	–	–
			144	0.14		
			316	0.06		
			327	0.72		
			348	0.23		
			488	1.37		
–	शास. भूमि का योग–		-	2.52	–	–
–	कुल योग–		-	15.167	–	–

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-19 (अ-82) 2019-20-163

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—केवलारी मय बम्हनी, प.ह.नं. 132, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.766 हेक्टेयर.

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी	केवलारी मय बम्हनी प.ह. नं.132 रा.नि. मं.बम्हनी	235	1.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			236/1	0.74		
			236/2	0.4		
			101/2	0.674		
			101/3	0.674		
			101/4	0.674		
			101/5	0.674		
			30/2	0.4		
			13	0.77		
			59	0.95		
			57	0.93		
			235	1.08		
			230	0.66		
–	निजी भूमि का योग–		-	9.766	–	–

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-20 (अ-82) 2019-20-168

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—साल्हेघोरी रैयत, प.ह.नं. 130, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.54 हेक्टेयर.

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी **निजी भूमि**	साल्हेघोरी रैयत प.ह. नं.130 रा. नि.मं.बम्हनी	4/1	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			4/2	0.18		
			31/1	0.38		
			31/2	0.38		
			27/1/1/1/1/1	0.66		
			12/1	1.86		
			12/5	0.12		
			16/1/1	0.98		
			16/1/2	0.98		
			16/3	0.2		
			16/5	0.39		
			16/4	0.19		
			16/6	0.98		
			34/1/1	0.78		
			70	0.99		
			88/3	0.19		
			133/1	0.05		
			133/2	0.04		
			76/1/1	1.02		
			76/1/2	0.20		
			76/2	0.20		
			27/1/1/2	0.27		
			27/1/1/1/1/2	0.16		

–	निजी भूमि का योग–		-	11.38	–	–
–	–	–	1	3.14	–	–
			67	0.42		
			53	3.99		
			91	0.29		
			87	0.32		
–	शास. भूमि का योग–		-	8.16	–	–
–	कुल योग–		-	19.54	–	–

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-21 (अ-82) 2019-20-167 **डिण्डौरी, दिनांक 6 अगस्त 2020**

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—साल्हेघोरी माल, प.ह.नं. 130, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.57 हेक्टेयर.

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी निजी भूमि	साल्हेघोरी माल प.ह.नं. 130 रा.नि.मं. बम्हनी	170/3	0.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			170/4	0.20		
			170/1/1	0.52		
			184/1	0.15		
			184/2	0.15		
			362	0.02		
			112/1	0.09		
			123/1	0.07		

			123/1	0.07		
			145/1	0.17		
			147/1	0.21		
			118/1	0.13		
			150/1	0.24		
			158/1	0.20		
			158/2	0.20		
–	निजी भूमि का योग–		-	2.76	–	–
	शास. भूमि		101	2.73		
			116	0.08		
–	शासकीय भूमि का योग–		-	2.81	–	–
–	कुल योग :–		-	5.57	–	–

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-22 (अ-82) 2019-20-164

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—खाम्ही माल, प.ह.नं. 132, रा.नि.मं. बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—46.902 हेक्टेयर.

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा(हे.में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	2)	(3)	4)	5)	6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी निजी भूमि	खाम्ही माल प. ह.नं.132 रा.नि. मं.बम्हनी	127/1	0.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			127/2	0.65		
			127/3	0.65		
			622/1	0.83		
			632/1	0.3		
			589/1	0.54		
			588/1	0.39		

			297/1	0.17		
			296/1	0.51		
			298	0.31		
			261/1	0.07		
			208/1	1.17		
			207/1	0.81		
			206/1	0.42		
			110	0.3		
			739	0.1		
			738	0.05		
			602	0.19		
			663	0.07		
			714/1	0.35		
			714/2	0.72		
			722	0.47		
			723/1	0.99		
			727/1	0.27		
			727/2	2.4		
			729	0.44		
			732/1	0.36		
			732/2	0.4		
			742	0.92		
			747	0.66		
			26 /1	2.54		
			109	0.19		
			110	0.3		
			47	0.27		
			60	0.61		
			56	0.3		
			66	0.04		
			133	0.3		
			206/1	0.42		
			207/1	0.81		
			211	0.79		
	कुल निजी भूमि का योग–		-	22.720	...	–

	शासकीय भूमि		280	0.14		
			275	0.68		
			263	0.2		
			289	.2.16		
			293	0.25		
			295	0.96		
			290	0.79		
			593	1.24		
			620	1.12		
			624	0.79		
			625	0.82		
			626	0.87		
			627	0.85		
			628	0.45		
			629	0.54		
			630	0.66		
			631	0.5		
			718	2.02		
			728	– 0.68		
			733	1.24		
			743	1.48		
			12	0.23		
			38	0.18		
			96	0.46		
			59	0.36		
			193	0.072		
			204	0.24		

			205	0.8		
			210	0.45		
			212	1.96		
			214	0.69		
			283	0.3		
-	**कुल शासकीय भूमि का योग–**		-	**24.182**	-	-
-	**कुल योग**		-	**46.902**	-	-

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-23 (अ-82) 2019-20-165

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—ग्राम अण्डई रैयत, प.ह.नं. 131, रा.नि.मं. बम्हनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.579 हेक्टेयर.

जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा(हे.में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6	7
डिण्डौरी	डिण्डौरी **निजी भूमि**	अण्डई रैयत प. ह.नं.131 रा.नि.मं. बम्हनी	167/1/1	0.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु।
			27	0.46		
			100	0.37		
			113	0.42		
			172	0.63		
			52/1	0.37		
			190	0.38		
			94	1.07		
			41	0.38		
			170	0.94		
			19	1.2		
			82	0.22		

			173	1.63		
			18	0.91		
			49	0.52		
			98	2.32		
			9	0.76		
			55/1	0.16		
			55/2	0.17		
			157/1	0.53		
			157/2	0.27		
			157/3	0.27		
			166	0.265		
			133 -	0.78		
			2	0.49		
			4	3.14		
			5	2.08		
			47	0.08		
			109	0.4		
			110	1.47		
			81	0.46		
			7	1.16		
			11	0.16		
			12	0.06		
			13 /1	0.38		
			13/ 2	0.38		
			14 /1	0.24		
			14 /2	0.02		
			14 /3	0.19		
			14 /4	0.024		
			33	2.79		
			34	0.41		
			36	0.56		
			9	0.76		
			18	0.91		
			19	1.2		

			23 /1	0.43		
			23 /2	0.4		
			32/1	0.24		
			32/2	0.1		
			32/3	0.16		
			27	0.46		
			41	0.38		
			49	0.52		
			52/1	0.37		
			403	0.3		
			47	0.17		
			55/1	0.06		
			55/2	0.06		
			82	0.22		
			81	0.46		
			87	0.32		
			190	0.43		
			94	1.07		
			173	1.63		
			170	0.94		
			166	0.52		
			157/1	0.53		
			157/2	0.27		
			157/3	0.27		
			157/4	0.52		
			157/5	0.27		
			100	0.37		
			108	0.46		
			113	0.67		
-	निजी भूमि का योग–		-	47.369	-	-
	शासकीय भूमि		35	0.19		
			24	2.11		
			86	0.99		

			171	0.35		
			402	0.57		
-	शासकीय भूमि का योग–		-	4.21	-	-
-	कुल योग–		-	51.579	-	-

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल,मध्यप्रदेश एवं पेदन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. -दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82- 2020-21-3741 **शहडोल, दिनांक 28 जुलाई 2020**

चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) व्दारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	सन्नौसी	5.319	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभांग कमांक–2, शहडोल म.प्र.	बलौड़ीजलाशय योजना से प्रभावित निजी भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पेदन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4181-भू-अर्जन-2020 **बालाघाट, दिनांक 10 अगस्त 2020**

चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–40 के अंर्तगत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा–9 के अंर्तगत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंर्तगत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं ।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 के अंर्तगत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बालाघाट	वारासिवनी	पूनी एवं दिनेरा	ग्राम पुनी– रकबा 1.061 हे. निजी एवं 0.173 हे. शासकीय ग्राम दिनेरा– रकबा 0.206 हे. निजी भूमि कुल रकबा– 1.440 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियॉ	भू–अर्जन अधिकारी, वारासिवनी जिला बालाघाट	वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता हैं ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लॉन) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू–अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लॉन) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता हैं ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूगि के बारे गें हितबद्व कोई व्यक्ति अधिरूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 27 फरवरी 2020

क्र. भू-अर्जन-08-(अ-82)-2019-2020-75.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर प.ह.नं.-49, रा.नि.म. कोहानी देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
766	0.01
765	0.14
763	0.06
759	0.10
385/1	0.22
385/2	0.02
374	0.05
372	0.08
129	0.17
369/1	0.16
367/1	0.03
365	0.12
363	0.26
362/1	0.02
362/2	0.01
357	0.02
359	0.07
360	0.11
330	0.13
331	0.01
322	0.13
333/1	0.04
333/2	0.02
336	0.08
310/1	0.04
310/2	0.02
311	0.04
307/1	0.02
237/1	0.04
237/2	0.08
238/1	0.02
238/2	0.10
240	0.03
239	0.01
252/1	0.05
252/2	0.05
253	0.03
254	0.10
127	0.06
128/1	0.07
128/2	0.07
140	0.03
130	0.14
116	0.06
115	0.10
113/1	0.06
113/2	0.06
102	0.08
106	0.04
271	0.08
273/1	0.03

(1)	(2)
274/1	0.05
274/2	0.04
275	0.02
278	0.02
योग. .	3.70

शासकीय भूमि

376	0.02
758	0.03
358	0.01
306	0.01
247	0.01
117	0.02
104	0.01
276	0.02
योग. .	0.13
कुल योग .	.3.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-30-(अ-82)-2018-19-74.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—देवरी कला मुख्य माइनर बांयी तट प.ह.नं.-49 रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.95 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
64/1	0.06
64/3	0.06
70	0.06
62	0.06
61	0.09
79	0.16
53	0.08
56	0.11
45	0.30
13	0.05
44	0.11
12	0.03
10	0.06
8	0.07
1	0.22
योग. .	1.52

शासकीय भूमि

65	0.04
63	0.05
80	0.07
46	0.22
6	0.03
4/1	0.02
योग. .	0.43
कुल योग .	.1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगॉव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्र. 6183-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बगोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.409 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
45/1	0.011
46/1	1.471
48	0.482
51	0.010
57/1	0.489
57/2	0.461
57/3	0.492
64	1.181
69	0.808
72	0.560
234	0.892
239	0.315
246	0.711
247/1	0.418
248	0.045
250	0.063
योग. .	8.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु.".

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6185-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—करचट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.751 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
64/2	0.081
66	0.429
70	0.069
91/2	0.620
91/1	0.994
92	0.115
93	0.178
96	0.156
107	0.044
108/2/1	0.203
108/2/2	0.249
109/2/1	0.099
109/2/2	0.380
119/1	0.084
120	0.150
121	0.408
136	0.129
139/1	0.045
141/2	0.660
143/1	0.629
143/2	0.237
144	0.431
145	0.267
146/1/1	0.246
146/1/3	0.418
146/2/1	0.260
157	0.170
योग. .	7.751

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु.".

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6187-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—बड़दाखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.612 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/1/1	0.320
226/1/2/2	0.237
226/1/2/1	0.019
248/1	0.103
248/2/2/1	0.313
248/2/1	0.039
248/2/3	0.009
248/2/4	0.011
248/2/5	0.011
248/2/6	0.011
248/2/7	0.011
248/2/8	0.011
249	0.080
253/1, 253/4	0.321
254	0.180
264/1	0.589
264/2	0.140
264/5	0.324
264/7	0.130
264/8	0.115
265/1	1.214
265/2	0.345
228/2	0.060
228/3	0.019
योग. .	4.612

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु.".

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6189-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—झाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.809 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
125	0.945
128/2/2	0.036
128/2/3	0.200
128/8	0.565
136/2	0.010
137	0.151
138	0.014

(1)	(2)
140	0.369
214/1	0.519
योग. .	2.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6191-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—परेठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.017 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
303	0.017
योग. .	0.017

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6193-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—काकड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.206 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.284
10/2	1.074
12/1	0.444
12/2	0.250
29	0.544
32	0.719
33/1	0.487
33/2	0.601
33/3	0.070
35/1/1	0.305
35/1/2	0.054
36/1 & 36/2	0.046
37/1/1	1.239
37/1/2	0.971
37/1/3	0.118
योग. .	7.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6195-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—करणपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.314 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135/5	0.024
135/1/मिन-2	1.578
135/4	0.146
135/3	0.395
180	1.132
181	0.066
182	0.120
183	0.512
184	0.271
187	0.116
188/1	0.312
188/2	0.175
188/3	0.250
189	0.003
190	0.011
191	0.203
योग. .	5.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 6197-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—डोबनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.045 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
264/1	0.005
271/1	2.057
264/2	0.010
263/4/2	0.120
266	0.194
263/4/1	0.141
271/2	0.409
271/7	0.572
277/1/1	0.981
277/2	0.418
271/4	0.226
271/3	0.004
269/6/2	0.096
271/5	0.209
269/6/1	0.107
271/6	0.052
276/1/1	0.390
276/2/1	0.390
310	0.126
312	1.583
317/1	0.043
319	0.570
317/5/1	0.152
317/6/1	1.190
योग. .	10.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 अगस्त 2020

क्र. 4393-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—सौंसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जोबनी, प.ह.नं.-03, ब. नं.-164, रा. नि. मं.-सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.862 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41	0.024
3/2	0.048
40/1	0.180
11/2	0.144
12	0.216
3/1	0.178
2/6	0.024
2/2	0.04
योग.	.0.862

0.862 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जोबनी से रामूढ़ाना सड़क के बहे हिस्से के नवीन मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र. B-2731-दो-3-420-1980-भाग सोलह.—श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 212 दिवस (दो सौ बारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय पवार, रजिस्ट्रार (एम).

गणना-पत्रक

1. श्री यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक	:	12-01-1982
2. सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-07-2020
3. नियुक्ति दिनांक 12-01-1982 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	05 वर्ष 01 माह 27 दिन.
4. दिनांक 08-01-1988 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	33 वर्ष 04 माह 21 दिन.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	05=5x15=75 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)	:	33=16x15=240 दिन.
टीप:—खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए.		1x7=07 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण पात्रता.	:	322 दिन
8. घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	110 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश: समपर्ण की पात्रता.	:	212 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-07-2020 को शेष अर्जित अवकाश 300+03 दिन).

जबलपुर, दिनांक 30 जुलाई 2020

क्र. D-2920-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 04 से 19 अगस्त 2020 तक, सोलह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) तथा दिनांक 20 से 21 अगस्त 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

संतान पालन अवकाश/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M), के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. C-2030-दो-2-33-2019.—श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 28 जुलाई 2020 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-3243-दो-2-53-2019.—श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को

दिनांक 3 से 10 जुलाई 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र. A-1693-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री राजीव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश,	-	225
अर्द्धवेतन अवकाश	-	75
	योग	300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = $\frac{\text{X 75}}{30}$

क्र. A-1695-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश,	-	211
अर्द्धवेतन अवकाश	-	089
	योग	300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=211 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = $\frac{\text{X 89}}{30}$

क्र. A-1697-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री श्याम कांत कुलकर्णी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री कुलकर्णी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश,	-	218
अर्द्धवेतन अवकाश	-	082
	योग	300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=218 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = _____ X 82
के एवज में नगद 30
भुगतान.

क्र. B-2733-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 20 से 22 जुलाई 2020 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. C-2032-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री रामनारायण चौधरी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री चौधरी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश,	-	210
अर्द्धवेतन अवकाश	-	090
	योग	300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = _____ X 90
के एवज में नगद 30
भुगतान.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.